उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. SE-95

मनोसामाजिक और पारिवारिक मुद्दे
(बौद्धिक अक्षमता)

खण्ड – एक : परिवार 03–40

इकाई 1 : परिवार की अवधारणा, परिभाषा व विशेषताएँ

इकाई 2 : प्रतिक्रियाओं तथा परिवार पर दिव्यांगता का प्रभाव, परिवार की आवश्यकताएँ व परामर्श

इकाई 3 : बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के पुर्नवास में परिवार की भूमिका

खण्ड – दो : मनोसामाजिक मुद्‌दे 41–76

इकाई 4 : परिवार, समुदाय, सहपाठी, शिक्षकों व सहकर्मियों की अभिवृत्ति

इकाई 5 : मिथक, गलत धारणाएँ तथा सामाजिक प्रथा

इकाई 6 : मनोसामाजिक मुद्‌दे

खण्ड – तीन : परिवार को सम्मिलित करना 77–104

इकाई 7 : पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार को सम्मिलित करना व प्रशिक्षण देना तथा अभिभावक व्यवसायी सम्बन्ध

इकाई 8 : अभिभावक स्वयं सहायता समूह का गठन एवं अभिभावक संघ

इकाई 9 : परिवार का सशक्तिकरण

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. SE-95

मनोसामाजिक और पारिवारिक मुद्दे
(बौद्धिक अक्षमता)

खण्ड – 1

परिवार

इकाई – 1 7
परिवार की अवधारणा, परिभाषा व विशेषताएँ

इकाई – 2 17
प्रतिक्रियाओं तथा परिवार पर दिव्यांगता का प्रभाव, परिवार की आवश्यकताएँ व परामर्श

इकाई – 3 31
बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के पुर्नवास में परिवार की भूमिका

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 के0एन0 सिंह — कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय — प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रो0 सीमा सिंह — आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रो0 सुषमा पाण्डेय — आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, डी0डी0यू0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर

प्रो0 रजनी रंजन सिंह — आचार्य, विशेष शिक्षा विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ0 जी0 के0 द्विवेदी — सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

डॉ0 दिनेश सिंह — सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक

डॉ. संजय कुमार — असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डॉ. भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

सम्पादक

प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय — प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

परिमापक

डॉ0 कौशल शर्मा — एसोसियएट प्रोफेसर, डॉ. भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा — परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज.

प्रकाशक

सितम्बर, 2019 (मुद्रित)

© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2019

ISBN-

सर्वाधिक सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में, मिमियोग्राफी (वक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठयसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठय सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आमड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन – उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशकः कुलसचिव, विनय कुमार, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित, 2024

मुद्रकः सिग्नस इन्फार्मेशन सल्यूसन प्रा0लि0, लोढ़ा सुप्रीमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।

खण्ड परिचय

खण्ड–1 **परिवार** : परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और समाज की निरन्तरता के लिए आवश्यक है। इसका गठन दुनिया भर में निर्वाह प्रथाओं व आर्थिक व्यवहारों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

इकाई–1 में आप परिवार की अवधारणा, परिभाषा, उसके विधिक प्रकार तथा विशेषताओं के बारे में अवगत होंगे।

इकाई–2 में आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जन्म के उपरान्त होने वाली प्रतिक्रियाओं, अनुकूलन प्रक्रिया तथा परिवार के सदस्यों पर इसका प्रभाव से अवगत होगें।

इकाई–3 में आप परिवार के कार्य तथा बौद्धिक अक्षम बच्चे के जन्म के उपरान्त उनकी भूमिका का अध्ययन करेंगे।

इकाई—1

परिवार की अवधारणा, परिभाषा व विशेषताएं

संरचना

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 परिवार क्या है ?

1.4 परिवार का वर्गीकरण

1.4.1 संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

1.4.2 निवास के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

1.4.3 अधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

1.4.4 उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

1.4.5 वंशनाम के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

1.4.6 विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

1.4.7 उभरते हुए संरचना के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

1.5 परिवार की विशेषताएं

1.5.1 उभरते परिवारी की विशेषताएं

1.6 सारांश

1.7 शब्दावली

1.8 बोध प्रश्न

1.9 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

1.10 संदर्भ

1.1 प्रस्तावना

परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और समाज की निरन्तरता के लिए आवश्यक भी है। इसका गठन दुनिया भर में निर्वाह प्रथाओं व आर्थिक व्यवहारों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

इस इकाई में आप परिवार की अवधारणा, परिभाषा तथा विशेषताओं के बारे में विस्तार से अवगत होंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप निम्नलिखित अवधारणाओं को जानने में सक्षम हो सकेंगेः—

- परिवार की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- परिवार का वर्गीकरण व उसकी विशेषता से अवगत हो सकेंगे।

1.3 परिवार क्या है?

परिवार शब्द लैटिन भाषा "फैमिलिया" से लिया गया है जिसका अर्थ है वह समूह जहाँ व्यक्तियों का आपस में रक्त सम्बन्ध स्थापित हो या विवाह और अन्य रिश्तों से बने समूह।

परिवार समाज की मूल एवं महत्वपूर्ण इकाई है क्योंकि यह मानव पूंजी संसाधनों की पीढ़ी में भूमिका निभाता है और इसमें व्यक्तिगत घरेलू और सामुदायिक व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्ति है। (श्री राम, 1993)। यह पोषण, भावनात्मक संबंध, सामाजीकरण तथा निरंतरता व परिवर्तन के बीच का एक प्रमुख श्रोत हैं।

परिभाषा :

देसाई, 1994 के अनुसार

"परिवार को मोटे तौर पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विवाह, रक्त, दत्तक या सहमति द्वारा एक जुट होते हैं। सामान्य रूप से एक ही घर में एक दूसरे से वार्ता एवं सम्प्रेषण करते हैं।

मैकाइवर एवं पेज (1959) के अनुसार :

"परिवार एक ऐसा समूह है जिसे यौन विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया हैं, जो बच्चों को पैदा करने व उसके परवरिश के लिए पर्याप्त रूप से सटीक व स्थायी हैं।"

किंग्सले, डेविस (1960) के अनुसार :

परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके पारिवारिक संबंध संगोत्रता पर आधारित होते है और जो एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं।

डब्लू एच आर रिवर्स के अनुसार :

परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता—पिता तथा बच्चे सम्मिलित हो।

मुरडॉक (1949 के अनुसार) :

परिवार एक सामाजिक समूह है जो एक सामान्य निवास, आर्थिक, सहयोग व प्रजनन को वर्णित करती हैं। इनमें दोनों लिंगों के व्यस्क शामिल हैं जिनमें से कम से कम हो। सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन संबंध बनाए रखते हैं तथा एक या एक से अधिक बच्चे यौन सहवास या गोद लिए गए हो सकते हैं।"

1.4 परिवार का वर्गीकरण

परिवार मुख्यतः को सदस्यों की संख्या, निवास, अधिकार उत्तराधिकार, बंशनाम एवं विवाह के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त उभरते हुए संरचना पर भी इसे वर्गीकृत किया जा सकता है।

1.4.1 संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

संख्या के आधार पर परिवार को तीन भागों के बॉटा जा सकता है नाभिक/मूल परिवार (न्यू–क्लीयर फैमिली), संयुक्त परिवार (ज्वाइंट फैमिली) तथा विस्तृत परिवार (एक्सटेन्डेड फैमिली)

(क) नाभिक/मूल परिवार : एक ऐसा परिवार जिसमें पति, पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं ऐसे परिवारों में बच्चों को भी सम्मिलित किया जाता हैं इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं –

- परिवार का आकार छोटा होता है।
- परिवार में बड़े बुजुर्गों का नियंत्रण नहीं रहता।
- बच्चों को अधिकतम देखभाल, प्यार, दुलार मिलता है।
- स्वावलंबी, आर्थिक रूप आत्मनिर्भर होता है।

(ख) संयुक्त परिवार :

इस तरह के परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ–साथ एक ही घर में निवास करते है। उनकी सम्पत्ति सामूहिक होती है। एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। घर में सामूहिक पूजा पाठ में भाग लेते हैं, एक धर्म तथा संस्कृति का पालन किया जाता हैं।

विशेषताएं :

- परिवार का आकार बड़ा होता है।
- परिवार में बुजुर्ग पुरूष ही परिवार का मुखिया होता है।
- परिवार में सदस्यों के अधिकार और कर्तव्यों को सत्ता और प्राधिकार के पदानुक्रम द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- संयुक्त परिवार के लिए पिता पुत्र संबंध, भाईयों के बीच के संबंध एवं पति–पत्नी के संबंधों से महत्वपूर्ण होता है।

(ग) विस्तृत परिवार :

इस प्रकार का परिवार नाभिक परिवार का विस्तृत रूप है। ऐसे परिवार में रक्त संबंधी व अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते है जैसे एक या एक से अधिक अविविवाहित, तलाक शुदा, या विधवा रिश्तेदार।

1.4.2 निवास के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

निवास के आधार पर परिवार को छः भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नव स्थानीय, मातृ–पितृ स्थानीय, मामा स्थानीय तथा द्वि स्थानीय परिवार।

(क) पितृस्थानीय परिवार : यदि विवाह के उपरान्त पत्नी अपने पति या उसके माता–पिता के साथ रहने लगती हो तो उसे पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं।

(ख) मातृस्थानीय परिवार : इसके विपरीत जब विवाह के उपरान्त पति पत्नी के साथ उसके माता–पिता के निवास स्थान पर रहने लगे, उसे मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं।

(ग) नव स्थानीय परिवार : एक पति–पत्नी विवाह के उपरान्त अपना नया घर बनाकर रहते हों उसे नव स्थानीय परिवार कहा जाता हैं। ऐसे परिवारों में नव दंपति न पति पक्ष के लोगों के साथ और न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ ही रहते है।

(घ) मातृ–पितृ स्थानीय परिवार : कई समाज में नव विवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के भी साथ रहने को बाध्य नहीं होते वरन् दोनों में से किसी के भी साथ रह सकते हैं। ऐसे परिवार को मातृ–पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं।

(ड.) मामा स्थानीय परिवार : ऐसे परिवार में नव विवाहित दम्पति पति के मामा के परिवार में जाकर रहने लगता है।

(च) द्वि स्थानीय परिवार : कुछ ऐसे परिवार भी है जहाँ विवाह के उपरान्त पति–पत्नी अपने जन्म के परिवारों में ही रहते है।

1.4.3 अधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

अधिकार के आधार पर परिवार को दो भागों में बॉटा गया है – पितृ सत्रात्मक परिवार तथा मातृसत्तात्मक परिवार।

(क) पितृ सत्रात्मक परिवार : ऐसे परिवार में सत्ता एवं अधिकार पिता के हाथ होती है और उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे परिवार में गतिविधि और प्रगति का केन्द्र पुरूषों पर होता है और वे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। बच्चों को उनके पिता के परिवार के नाम से जाना जाता है।

(ख) मातृ सत्रात्मक परिवार : ऐसे परिवार में माता या स्त्री में ही अधिकार तथा सत्ता निहित होती है। वहीं पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती हैं। ऐसे परिवार में वंश मां के माध्यम से प्रतिनिधित्व होती हैं।

1.4.4 उत्तराधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है – पितृमार्गी तथा मातृमार्गी परिवार।

(क) पितृमार्गी परिवार : ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृ पक्ष के आधार पर तय किये जाते हैं।

(ख) मातृमार्गी परिवार : ऐसे परिवारों ने उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय किये जाते हैं।

1.4.5 वंशनाम के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

वंशनाम के आधार पर परिवार को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : पितृ वंशीय, मातृवंशी तथा उभयवाही परिवार।

(क) पितृवंशीय परिवार : ऐसे परिवार में वंश, परम्परा पिता के नाम से चलती है। पुत्रों को पिता का ही वंश नाम प्राप्त होता है। हिन्दुओं में परिवार पितृवंशीय है।

(ख) मातृवंशीय परिवार : ऐसे परिवारों में वंश परम्परा माता के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता हैं।

(ग) उभयवाही परिवार : ऐसे परिवारों में पैतृक तथा मातृक दोनों वंशनाम परम्पराएं साथ–साथ चलती है। ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा–दादी, नाना–नानी चारों संबंधियों में समान रूप से संबंधित रहता है।

1.4.6 विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

विवाह के आधार पर परिवार को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, बहु पत्नीक परिवार, बहु पति परिवार एवं समूह विवाही परिवार।

(क) एक विवाह परिवार : इस तरह का परिवार एक पुरूष तथा एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति, पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं परिवार के जिम्मेदारियाँ एवं कर्तव्य भली–भांति वितरित होती है।

(ख) बहु विवाह परिवार : ऐसे परिवार में एक समय में एक से अधिक यौन साथी स्वीकृत होते हैं।

(ग) बहुपत्नीक परिवार : जब एक पुरूष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है, उसे बहुत पत्नीक परिवार कहते है।

(घ) बहुपति विवाह : जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पतियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है, उसे बहुपति परिवार कहते हैं।

(ड.) समूह विवाह परिवार : जब कई भाईयों या पुरूष मिलकर स्त्रियों के समूह से विवाह करें और सब पुरूष और सभी स्त्रियों के समान रूप से पति हो, वह समूह विवाह परिवार कहलाता है।

1.4.7 उभरते हुए संरचना/कृत्य पर आधारित परिवार का वर्गीकरण

उभरते हुए संरचना पर आधारित परिवार में परिवार को समलैगिंक, एकल, गैर वैवाहिक, स्वैच्छिक संतानहीनता जैसे परिवार को बाँटा जा सकता है।

(क) समलैगिक परिवार :

डेम्पसे, डी (2018) के अनुसार आस्ट्रेलियाई समलैगिको में 11.0 पुरूष तथा 33% समलैगिक महिलाएं हैं। उनके विषम लैगिक सबधो से उनके साथ बच्चे भी समलैगिक परिवार के अभिन्न अंग है। हालांकि ऐसे परिवारों के संबंध में आंकड़े

आसानी से उपलब्ध नहीं होते लेकिन समलैगिक परिवारों के लिए रूझान बढ़ रहा है। ऐसे परिवार के लिए बच्चों को गोद लेना हमेशा एक विकल्प रहता है।

(ख) एकल वादी परिवार (Single hood family) :

यह तर्क दिया जा सकता है कि एकल वादी (सिंगल हुड) को एक परिवार नहीं माना जा सकता हैं। लेकिन सिंगल (एकल) की बढ़ती संख्या तथा उनका बच्चों को गोद लेना एक नई प्रकार के परिवार के चलन को दर्शाता है। ये एकल व्यक्ति वे हैं जिन्होंने कभी शादी नही की।

(ग) गैर वैवाहिक परिवार :

इस जीवन शैली में अविवाहित पुरूष और महिला एक साथ रहते है। पश्चिम देशों में यह जीवन शैली बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त किया है।

(घ) स्वैच्छिक संतानहीनता परिवार :

यह ऐसे परिवार को वर्णित करती है जिसमें दंपति जो वित्तीय, कैरियर या भावनात्मक लगाव के कारण बच्चे जन्म देना नहीं चाहती या गोद लेना नहीं चाहती है।

1.5 परिवार की विशेषताएं

1. यौन संबंध (Mating relationship) यह दंपत्ति में यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। यौन संबंध एक मुख्य कारक है जिसके द्वारा विवाह पूर्ण रूप से स्थापित होता है।
2. वंश नाम : प्रत्येक परिवार की पहचान उसके वशं/गोत्र से होती है वंश माता या पिता का हो सकता है। पितृवंशीय परिवार में पिता का वंश चलता है वहीं मातृवंशीय परिवार में माता का वंश आगे बढ़ता है।
3. आर्थिक व्यवस्था : प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति हेतु व्यवस्था करता है तथा परिवार की मुखिया इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
4. सामान्य निवास : परिवार की निवास के लिए घर या गृहस्थी की आवश्यकता होती है निवास स्थान के अभाव में बच्चे का लालन पोषण पर्याप्त रूप से नहीं हो सकता है।

परिवार की विशिष्ट विशेषताएं :

5. सार्वभौमिकता : परिवार समाज का सबसे छोटा तथा अंतरंग समूह है। यह हर समाज में पाई जाने वाली एक सार्वभौमिक संस्था हैं। हर इंसान किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है।
6. भावनात्मक आधार : परिवार का सभी सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते है। चाहे वह पति–पत्नी हो या माता–पिता या बच्चों के बीच का प्यार व लगाव।
7. सीमित आकार : यह समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसमें पति–पत्नी और बच्चे सम्मिलित होते हैं परिवार में मधुर संबंध इसके छोटे आकार के कारण ही संभव है।

8. नाभिक स्थिति : सभी विभिन्न प्रकार के समूहों के संबंध में परिवार अभी तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह इन सभी माध्यमिक समूहों में भागीदारी के लिए व्यक्ति को उनकी मांगों व स्थितियों के लिए तैयार करता है।

9. रचनात्मक प्रभाव : परिवार समाज की सबसे शक्तिशाली इकाई है जो व्यक्तियों को सामाजिक रूप में मान्य व्यवहार सीखने में सहायक होती हैं। परिवार में रीति–रिवाज, लोकाचार व प्रतिमान सदस्यों के पर्सनालिटी को आकार देता है।

10. सदस्यों की जिम्मेदारी : परिवार के सदस्यों को अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है जिसे पूरा करना होता हैं।

1.5.1 उभरते पारिवारिक विशेषताएं

- उभरते पारिवारिक संरचना दर्शाती है कि एकल विवाही परिवार की व्यापकता में वृद्धि हो रही है।
- गैर वैवाहिक परिवार जो कानूनी, सांस्कृतिक या धार्मिक मंजूरी के मौजूद है।
- समलैंगिक परिवार के प्रति रूझान बढ़ रहा है।
- महिलाओं में स्वैच्छिक संतानहीनता ऐसे परिवार को दर्शाती है जो किसी कारणवश बच्चे जन्म नहीं देना चाहती।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 संयुक्त परिवार की विशेषताओं को लिखिए।

....
....
....
....

प्र02 परिवार क्या है ?

....
....
....
....

प्र03 गैर वैवाहिक परिवार क्या है ?

....
....
....
....
....

1.6 सारांश

- परिवार शब्द लैटिन भाषा 'फैमिलिया' से लिया गया है जिसका अर्थ है वह समूह जहां व्यक्तियों का आपस में रक्त संबंध या रिश्तों का संबंध हो।

- मैकाइवर एवं पेज के अनुसार 'परिवार एक ऐसा समूह है जिसे यौन विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है जो बच्चों को पैदा करने व उसके परवरिश के लिए पर्याप्त रूप से सटीक व स्थायी है।

- परिवार का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है जैसे परिवार में सदस्यों के संख्या के आधार पर, निवास, अधिकार, उत्तराधिकार, वंशनाम, विवाह तथा उभरते हुए संरचना।

- संख्या के आधार पर यह तीन प्रकार का है – नाभिक, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार। नाभिक परिवार ऐसा परिवार है जिसमें पति, पत्नी व बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। वही संयुक्त परिवार में तीन य तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ–साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी सम्पत्ति सामूहिक होती है तथा रसोई, पूजा–पाठ एक साथ होता है। विस्तृत परिवार नाभिक परिवार का विस्तार रूप हैं जिसमें रक्त संबंधी या अन्य संबंधी सम्मिलित हो सकते हैं।

- निवास के आधार पर परिवार को छः प्रकार का होता है – 1) पितृ स्थानीय, 2) मातृस्थानीय, 3) नव स्थानीय, 4) मातृ–पितृस्थानीय, 5) मामा स्थानीय तथा 6) द्विस्थानीय। पितृस्थानीय परिवार में विवाह के उपरान्त पत्नी पति के साथ या पति के माता–पिता के साथ रहते लगती है वहीं मातृस्थानीय परिवार में इसके विपरीत पति–पत्नी, पत्नी के माता–पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है। नव स्थानीय परिवार मे पति–पत्नी विवाहोपरान्त अपना नया घर बना कर रहते हैं। वे पति के या पत्नी के परिवार के निवास स्थान पर नहीं रहते। मातृ–पितृ स्थानीय परिवार में नव विवाहित दम्पत्ति पति या पत्नी दोनों में से किसी के भी साथ रह सकते हैं। मामा स्थानीय परिवार के अन्तर्गत नव निवाहित दम्पत्ति पति के मामा के परिवार में जाकर रहने लगता है वहीद्वि स्थानीय परिवार में पति–पत्नी अपने–अपने माता–पिता के परिवारों में ही रहते है।

- अधिकार के आधार पर परिवार पितृ सत्तात्मक व मातृसत्तात्मक श्रेणियों में बाँटा गया है। वही उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गी व मातृमार्गी परिवार में बँटता है।

- वंशनाम के आधार पर परिवार तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है पितृवंशीय, मातृवंशीय तथा उभयवाही परिवार। पितृवंशीय परिवार में वंश परम्परा पिता के नाम से चलती है वहीं मातृवंशीय परिवार में वंश, परम्परा माता के नाम से चलती है। उभयवाही परिवार में वंश, परम्परा, दोनों माता–पिता के नाम से चलती है।

- विवाह के आधार पर परिवार को पांच तरीके से बाँटा जाता है – एक विवाही, बहुविवाही, बहुपत्नीक, बहुपति तथा समूह विवाही परिवार।

- उभरते हुए संरचना के आधार मानते हुए परिवार को समलौगिक, एकल (सिंगल हूड) गैर वैवाहिक तथा स्वैच्छिक संतानहीनता परिवार में बाँटा जाता है।

- मैकाइबर एवं पेज (1959) के अनुसार परिवार की विशेषताओं मे ंयौन संबंध, वंशनाम, आर्थिक व्यवस्था, सामान्य निवास जैसे कारक प्रमुख हैं वहीं परिवार की विशिष्ट विशेषताओं में सार्वभौमिकता, भावनात्मक–आधार, सीमित आकार नाभिक स्थिति, रचानात्मक प्रभाव व सदस्यों की जिम्मेदारी जैसे कारक महत्वपूर्ण माने गये है।

- उभरते हुए संरचना पर आधारित परिवार की विशेषताओं में एकलवादी परिवार की व्यापकता में बढ़त, गैर वैवाहिक परिवार की मौजूदगी, समलैगिक परिवार के प्रति रूझान प्रमुख है।

1.7 शब्दावली

- विस्तृत परिवार (Extended Family) : यह संख्या के आधार पर परिवार के वर्गीकरण का एक भाग है। ऐसे परिवार में रक्त संबंधी या अन्य संबंधी जैसे अविवाहित तलाकशुदा, विधवा, विधुर रिश्तेदार, सम्मिलित होते हैं। यह नाभिक परिवार का विस्तार रूप है।

- पितृसत्तातमक परिवार – ऐसे परिवार में सत्ता एवं अधिकार पिता के हाथ होती है और उन्हें ही श्रेष्ठ माना जाता हैं

- मातृवंशीय परिवार : ऐसे परिवार में वंश, परम्परा माता के नाम से चलती हैं।

- एकलवादी परिवार (Single hood family) : ऐसे परिवार में महिला या पुरूष स्वयं विवाह नहीं करते हुए बच्चे की गोद लेता है एवं उसका लालन–पालन करता है।

1.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न– संयुक्त परिवार की विशेषताओं को लिखे।

उत्तर– संयुक्त परिवार की निम्न विशेषताएं होती है –

- परिवार का आकार बड़ा होता है।
- परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है।
- परिवार में सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य पदानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है।
- संयुक्त परिवार में पिता पुत्र का संबंध अन्य सभी संबंधों से महत्वपूर्ण होता है।

प्रश्न– परिवार क्या है ?

उत्तर– परिवार लैटिन भाषा "फैमिलिया" से लिया गया है जिसका अर्थ है वह समूह जहाँ व्यक्ति में आपस में रक्त संबंध या अन्य रिश्तों से संबंध होता है।

मेकाइवर एवं पेज (1959) के अनुसार –

"परिवार एक ऐसा समूह है जिसे यौन विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है जो बच्चों को पैदा करने व उसके परवरिश के लिए पर्याप्त रूप से सटीक व स्थायी है।"

प्रश्न– गैर वैवाहिक परिवार क्या है ?

उत्तर— इस जीवन शैली में अविवाहित पुरूष और महिला एक साथ रहते है तथा बच्चे को जन्म देते है।

1.9 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

1. परिवार क्या है ? परिवार की विशेषताओं को लिखें।
2. नाभिक परिवार क्या है ? यह संयुक्त परिवार से भिन्न कैसे है ? लिखें।
3. परिवार को परिभाषित करें तथा विवाह के आधार पर परिवार को वर्गीकृत करें।

1.10 संदर्भ

फीवेल, आर, एण्ड वॉउसी, पी, (1936) फेमिलीज आफ हैडीकैपक्ड चिल्ड्रन : नीड्स एण्ड सपोर्ट एक्रास दि लाइफ स्पेन, टेक्सासः रो—इड—इक रस्टेनमेट्स एस, एण्ड स्टीन, के (1988) ट्रेडिशनल एण्ड इर्मजिंग फेमिलिज : ए टायपालॉजी बेस्ट आन स्ट्रक्टचर एण्ड फक्शनस् फैमिली साईन्स रिव्यू 1,2, 103—114

इकाई–2

प्रतिक्रियाओं तथा परिवार पर दिव्यांगता का प्रभाव, परिवार की आवश्यकताएं व परामर्श

संरचना

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 मनौवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं

2.3.1 सद्मा

2.3.2 इन्कार करना

2.3.3 क्रोध

2.3.4 निराश होना

2.3.5 पुनःस्थापना

2.3.7 अनुकूलन

2.4 परिवारिक रिश्तों पर अक्षमता का प्रभाव

2.4.1 वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव

2.4.2 माता–पिता तथा उनके बच्चों के बीच संबंधों पर प्रभाव

2.4.3 भाई बहनों के बीच संबंधों पर प्रभाव

2.4.4 अतिरिक्त पारिवारिक रिश्तों के साथ संबंधों पर प्रभाव

2.4.5 अन्य पारिवारिक प्रभाव

2.5 परिवार की आवश्यकताएं

2.5.1 परिवार की आवश्यकताओं का आकलन

2.5.2 बौद्धिक अक्षम बच्चों के परिवार की आवश्यकताएं

2.5.2.1 माता–पिता द्वारा व्यक्त किए गए आवश्यकताएं

2.5.2.2. भाई–बहनों द्वारा व्यक्त किए गए आवश्यकताएं

2.5.2.3 दादा–दादी द्वारा व्यक्त किए गए आवश्यकताएं

2.6 पारिवारिक हस्तक्षेप की आवश्यकताएं व तरीके

2.6.1 पारिवारिक हस्तक्षेप की आवश्यकताएं

2.6.2 पारिवारिक हस्तक्षेप के चरण

2.6.3 पारिवारिक हस्तक्षेप के तरीके / विधियाँ

2.6.3.1 व्यैक्तिक परामर्श

2.6.3.2 समूह परामर्श

2.6.3.3 समूह कार्य

2.6.3.4 पारिवारिक चिकित्सा

2.7 सारांश

2.8 शब्दावली

2.9 बोध प्रश्न के उत्तर

2.10 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

2.11 संदर्भ

2.1 प्रस्तावना

किसी भी बच्चे का जन्म मौलिक रूप से परिवार में बदलाव लाता हैं यह बदलाव रिश्ते, स्थिति तथा वित्तीय क्षेत्र में प्रभावशाली होती हैं। परन्तु एक अक्षम बच्चे का जन्म परिवार में अतिरिक्त मांग व चुनौतियों को रखती है जो अधिकांश लम्बे समय तक रहती है। ये चुनौतियाँ विकलांगता के प्रकार, गम्भीरता, उम्र, लिंग, परिवार के प्रकार, माता–पिता की उम्र इत्यादि के साथ बदलती रहती है।

इस इकाई में आप अक्षम बच्चे के जन्म के उपरान्त होने वाले प्रतिक्रियाओं, अनुकूलन प्रक्रिया तथा परिवार के सदस्यों पर इसका प्रभाव जान सकेगें इसके अतिरिक्त ऐसे परिवारों की आवश्यकताओं तथा परिवार सशक्तिकरण हेतु परामर्श के बारे में भी सीखेगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप निम्नलिखित अवधारणाओं को जान सकेंगेः–

- परिवार के सदस्यों का मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ से अवगत हो सकेंगे।
- अक्षम बच्चे के कारण पारिवारिक रिश्तों का प्रभाव को समझ सकेंगे।
- ऐसे बच्चो के परिवार की आवश्यकताओं को समझने व हस्तक्षेप प्रक्रिया करें सकगें।

2.3 मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं

अक्षम बच्चे का जन्म परिवार में आमतौर पर मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को प्रारंभ करती है।

हन्बिी (2000) ने अक्षम बच्चे के जन्म के उपरानत होने वाली मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं को निम्न चरणों में बाँटा है। ये मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं अनुकूलन प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रतिक्रियाओं के चरणों की निरन्तरता को दर्शाती है जो सदमा से शुरू होकर इन्कार, क्रोध, उदासी, अलगाव, पुर्नस्थापना से गुजरते हुए अंतत अनुकूलन की स्थिति एक पहुँचती है। परन्तु वास्तव में अनुकूलन प्रक्रिया एक चरण से दूसरे चरण क्रमवार नहीं जाती है।

2.3.1 सद्‌मा (SHOCK)

यह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया माता–पिता की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया है जब उन्हें बच्चे की अक्षमता के बारे में सूचित किया जाता हैं। अधिकांश माता–पिता भ्रमित होने (Confused), संवेदनहीनता (numbness) का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लक्षणों में भूख नहीं लगना, अत्यधिक थकावट, नींद नहीं आना, मनोदैहिक समस्याएं (रक्त चाप/नाड़ी व श्वसन दर में वृद्धि इत्यादि) भी सामान्य लक्षण हैं। यह अवस्था कुछ घंटों से शुरू होकर कुछ दिनों तक रह सकती है।

2.3.2 इन्कार करना

इस अवस्था में माता–पिता अपने बच्चे की अक्षमता होने से इंकार करता है। कई माता–पिता अपने बच्चे के निदान के लिए कई विशेषज्ञों/चिकित्सकों से संपर्क करते हैं उनके द्वारा खरीदारी प्रवृति (एक से अधिक चिकित्सकों से मिलना) उन्हें तनाव से बचाव करता है।

अतः विशेषज्ञों को माता–पिता की इस अवस्था में संवेदनशील रहने चाहिए। उनकी दिए परामर्श को ध्यान से सुनना तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रेषित करना उन्हें इस अवस्था में आराम दिला देता है।

2.3.3 क्रोध

इन्कार की अवस्था के उपरान्त माता–पिता अक्षमता से अवगत होने लगते हैं। बच्चे की अक्षमता का कारण जान करके क्रोधित होते हैं। यह क्रोध कई दिशाओं में हो सकता हैं। जैसे घर में पत्नी के प्रति, हॉस्पिटल में डाक्टर के प्रति मन्दिर में परमेश्वर के प्रति इत्यादि। वैकल्पिक रूप से क्रोध में अतर्निहित अक्षमता के लिए किसी तरह जिम्मेदार होने की भावना हो सकती है।

माता–पिता के लिए क्रोध का प्रर्दशन अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि यह उनके अनुकूलन की दिशा तय करती है। व्यवसायियों को चाहिए कि वे माता पिता उनके क्रोध को व्यक्त करने एवं उसका अन्वेषण करने के लिए प्रयास करें।

2.3.4 निराश होना

क्रोध के वाद यह अवस्था प्रतिक्रिया स्वरूप आती है। ये प्रतिक्रिया एक स्वस्थ बच्चे नहीं होने के कारण हो सकती हैं कई माता–पिता इस अवस्था में अवसाद (depression) से पीड़ित होते हैं लिवलेह व एनहोनॅक (2005) के अनुसार इस अवस्था में निराशा, बेवसी, अलगाव व तनाव के लक्षण माता–पिता में देखे जा सकते है क्योंकि उन्हें बच्चे में हुए कमी का एहसास हो जाता है। अतः इस अवस्था में उन माता–पिता की मानसिक अशांति को समझने का प्रयास करें।

2.3.5 अलगाववाद

निराशा के उपरान्त व्यक्ति अलगाववाद का अनुभव करता है। उन्हें अपने बच्चे की अक्षमता, उसकी गंभीरता, भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में दी गयी सूचनायें सत्य प्रतीत होने लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अवस्था में दिव्यांगता की स्थिति को स्वीकार करने के राह पर होते हैं, अतः यह अनुकूलन प्रक्रिया के लिए एक मोड़ (turning point) है।

2.3.6 पुनःस्थापना

अलगाववाद ही माता–पिता में पुनः स्थापना को अग्रसर करती है। वे बच्चे की वर्तमान स्थिति को स्वीकारते हैं तथा उसके भविष्य के लिए आशावादी दिखते हैं। अतः इस अवस्था में व्यवसायियों को चाहिए कि वे इन्हें हस्तक्षेप कार्यक्रमों में सम्मिलित करें।

2.3.7 अनुकूलन

यह प्रतिक्रियाओं का अंतिम पड़ाव/स्थिति है जहाँ से अभिभावक अपने बच्चे की दिव्यांगता की स्थिति को स्वीकारते हुए उनके भविष्य के लिए योजना बनाता है, उसका क्रियान्वयन करता हैं। बच्चे के प्रशिक्षण/चिकित्सा से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित कर बच्चे के हस्तक्षेप में सहयोग करता है।

2.4 पारिवारिक रिश्तों पर अक्षमतः का प्रभाव

एक अक्षम बच्चे का जन्म परिवार में कई बदलाव लाता हैं। यह बदलाव रिश्ते, स्थिति, परिवार के कार्य करने की प्रणाली को प्रभावित करती है। कई अध्ययनों में यह स्पष्ट हुआ है कि अक्षम बच्चे जन्म से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य, व्यवसाय, सामाजिक तंत्र इत्यादि प्रभावित होती है।

2.4.1 वैवाहिक संबंधों पर प्रभाव

वैवाहिक जीवन उपप्रणाली में पति और पत्नी के बीच का संबंध महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षम बच्चे की उपस्थिति संबंधों को प्रभावित करती है। कई अध्ययनों ने यह

दर्शाया है कि अक्षम बच्चे का जन्म माता–पिता के वैवाहिक संबंध में नकारात्मक प्रभाव डालता है।

फीदर स्टोन (1980) के अनुसार :

"एक बच्चे की विकलांगता विवाह की संरचना में चार तरीके से हमला करता है – यह माता, पिता या दोनों में शक्तिशाली भावनाओं को उत्तेजित करता है, यह साझा विफलता का प्रतीक है। यह परिवार को पुर्नगठित करता है तथा संघर्ष के लिए उपजाऊ जमीन बनााता है।"

गाथ 1997, मर्फी 1982 के अनुसार जिन परिवार में अक्षम बच्चे हो वहाँ तलाक, वैवाहिक नीरसता, पति परित्याग (Divorce) की संभावना अधिक होती हैं हालांकि कुछ अध्ययन यह भी संकेत करती है कि अक्षम बच्चे का जन्म वैवाहिक संबंधों में सकारात्मक प्रभाव डालती है। जैसे कुछ पति पत्नियों को लगता है कि वे एक दूसरे से भावनात्मक रूप से निकट हो गया है, उनके वैवाहिक संबंध प्रगाढ़ हुए है, जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त हुआ है इत्यादि।

2.4.2 माता–पिता तथा उनके बच्चे के बीच का संबंधों पर प्रभाव

परिवार में माता–पिता तथा उनके बच्चों के बीच का संबंध अक्षम बच्चे के जन्मोपरान्त बदलती रहती है। यह बच्चे के लिंग, माता–पिता की वैवाहिक स्थिति, यौन अभिविन्यास तथा उम्र पर निर्भर करती है।

माता–पिता अपने अक्षम बच्चे के लिंग को ध्यान में अलग–अलग तरीकों से प्रभावित होता है। टालमन (1965) ने अपने अध्ययन में पाया कि पिता अपने पुत्री के तुलना में पुत्र से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। उन्हें तनाव, शारीरिक समस्याएं ज्यादा देखने को मिली।

उसी भांति वैवाहिक स्थिति भी माता–पिता व बच्चे के बीच का संबंध को प्रभावित करती है। विधवा या तलाकशुदा माताओं के लिए अक्षम बच्चे का लालन पालन तनाव भरा कार्य होता है।

अक्षम बच्चों के परिवार में विशेष रूप से जहाँ परिवार को पालने में कठिनाई हो रही है, यह भविष्यवाणी की जाती है कि परिवार का उपप्रणाली अधिक उलझा होगा। अक्षम बच्चों को परिवार में अन्य बच्चों के तुलना में कहीं अधिक प्यार–दुलार, देखभाल मिलती है, वहीं किसी परिवार में इसके विपरीत उन्हें दुत्कार, उपेक्षा व घृणा भी मिलता पाया गया है।

माता–पिता अपने अक्षम बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में परिवार के अन्य और विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है। लम्बे समय तक की गई उपेक्षा पारिवारिक उपप्रणाली (माता–पिता व बच्चे के बीच) को तनावपूर्ण बनाती है।

2.4.3 भाई–बहनों के बीच के संबंधों पर प्रभाव

यह सम्भवतः सत्य है कि एक अक्षम बच्चे की उपस्थिति अन्य बच्चों के बीच के संबंधों को प्रभावित करती है। इसे कई कारक प्रभावित कर सकती है जैसे–बच्चे में अक्षमता से उत्पन्न समस्याएं, अक्षम बच्चे की देखभाल संबंधी जिम्मेदारी तथा माता–पिता की अक्षमता के प्रति अभिवृत्ति।

ग्रासमैन (1972) ने अपने अध्ययन में पाया कि नकारात्मक अनुभवों में उन्हें द्वेष, अपराध बोध, लज्जा, अभिभावक से अनदेखी तथा डर की शिकायत अधिक मिले। वहीं

सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला जैसे सहनशीलता, दया, दूसरों की समस्या की समझ स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेही इत्यादि।

कई परिवारों में बड़े भाई–बहन होने के नाते उन्हें अक्षमता ग्रस्त भाई बहनों की देखरेख, शिक्षा, खान–पान की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती हैं, जिसे वे नापसंद करते हैं।

2.4.4 अतिरिक्त पारिवारिक रिश्तों के साथ संबंध पर प्रभाव

अतिरिक्त पारिवारिक रिश्तों में रिश्तेदार जैसे मामा–मामी, चाचा–चाची, करीबी दोस्त, पड़ोसी सम्मिलित है। इन व्यक्तियों को भी वहीं आम समस्याएं हो सकती है जो अक्षम बच्चों के प्रति आम लोगों को होती है।

परिवार जब दुख, सदमा, क्रोध, निराशा जैसे भावनाओं से गुजर रहा हो, उस समय इन पारिवारिक रिश्तेदारों का व्यवहार समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है।

कुछ तो परिवार के और ही नजदीक हो जाते हैं, वहीं कुछ का पारिवारिक संबंध का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।

2.4.5 अन्य पारिवारिक प्रभाव

बौद्धिक अक्षम बच्चे के माता–पिता होने के कारण वे कई तरह से प्रभावित होते हैं। कुछ प्रभाव सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक भी देखे जाते हैं। सकारात्मक प्रभावों में अधिक धैर्य, सहनशीलता, सहानुभूति, संवेदनशीलता तथा सहायतापरक इत्यादि प्रमुख है।

वहीं नकारात्मक प्रभावों में माता–पिता बौद्धिक अक्षम बच्चे के जन्म के उपरान्त उसके निरंतर थकाने वाली देखभाल संबंधी क्रियाएं जैसे दूध पिलाना/खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, शौच–क्रिया, बच्चे को उठाना–बैठाना, सुलाना इत्यादि कार्यों से उन्हें तनावग्रस्त करती है।

कई माता–पिता ऐसे बच्चे के जन्म के उपरान्त स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित पाते है जैसे अस्थमा, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, मानसिक चिन्ताएं, अनिद्रा इत्यादि। वहीं व्यवसाय में समायोजन भी उन्हें परेशान करती है जैसे ऐसे नौकरी के साथ समझौता करना जो कम वेतन दे रहा हो, पदोन्नति का त्याग करना, नौकरी के लिए समय का समायोजित करना इत्यादि।

कई अध्ययन दर्शाते हैं कि बौद्धिक अक्षम बच्चे के जन्म के उपरान्त उन्हें अपने जीवन साथी, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों व पड़ोसियों से मिलने वाली सहयोग/समर्थन कम हो गया है।

अन्य नकारात्मक प्रभावों में आर्थिक समस्याओं का सामना करना जैसे अक्षम बच्चे की चिकित्सा, मेडिकल जांच, उपकरण, सह उपकरण, खिलौने, पढ़ने की सामग्री अधिक खर्चीली होती है।

माता–पिताओं को बच्चे के कारण सामाजिक क्रियाकलापों जैसे शादी/विवाह, मुंडन, जन्म दिन समारोहो, स्वयं के लिए मनोरंजन क्रिया कलाप इत्यादि प्रभावित होती है। कई माता–पिता यह स्वीकार करते हैं कि बौद्धिक अक्षम बच्चे के जन्मोपरान्त उनके बीच के संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हुयी है। ये उनके आपसी संबंध तक सीमित नहीं रहते हुए यह परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों दोस्तों तक में पाया गया है।

2.5 परिवार की आवश्यकताएं

बौद्धिक अक्षम बच्चे के शिक्षण प्रशिक्षण व देखभाल में परिवार की भूमिका अहम होती है। परिवार में बच्चे के माता–पिता के अतिरिक्त उनके भाई–बहन व दादा दादी/नाना–नानी, चाचा–चाची इत्यादि की भी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

प्रत्येक बौद्धिक अक्षम बच्चे के परिवार की आवश्यकताएं भिन्न होती है। परन्तु आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाने से परिवार का कामकाज (Family Functioning) बेहतर हो जाती है।

हेलैण्डर (1994) के अनुसार 'आवश्यकताएं' शब्द का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकती है। उन्होंने आवश्यकता को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया है।

1. महसूस की गयी आवश्यकताएं (Felt Need)
2. आवश्यकताएं जो व्यक्त की गयी (Expressed need)
3. आवश्यकताएं जो आकलन की गयी (Assessed Need)

महसूस की जाने वाली जरूरतें अक्षम व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्त की जाती है, या वह जरूरतें जो, अन्य सदस्यों के द्वारा लंबी अवधि निरीक्षण कर व्यक्त की गयी हो।

व्यक्त की जाने वाली जरूरतें अक्षम व्यक्ति और उनके परिवार द्वारा विशेष समस्याओं को हल करने के सहायता के लिए प्रकट होती है।

"वहीं" "आकलन की गई जरूरतें" पुर्नवास व्यवसाईयों द्वारा अक्षम व्यक्ति की पुनर्वास आवश्यकताओं का आकलन है।

अतः पारिवारिक आवश्यकताओं को अध्ययन करने हेतु हमें ये उपरोक्त तीनों तरीकों से व्यक्त की गई आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देनी होगी।

2.5.1 परिवार की आवश्यकताओं को आँकलन क्यों आवश्यक है?

परिवार की आवश्यकताओं का आकलन यह सुनिश्चित करती है कि सेवाएं और कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से एकत्रित जानकारी पर आधारित है।

- आवश्यकताओं का आकलन अक्षम बच्चों के परिवार के बीच संबंधों का निर्माण करती है।
- आवश्यकताओं का आकलन–परिवार में किए जा रहे हस्तक्षेप का मूल्यांकन में समर्थन करती है।
- जब परिवार के सदस्यों को एक आकलन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को परिभाषित करने के लिए अवसर दिया जाता है, तो यह दिव्यांगता सशक्तीकरण में योगदान करता है।
- यह सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में योगदान करता है।
- अनुसंधान और अनुभवों से संकेत मिलता है कि जिन परिवारों की विशेष आवश्यकताओं ससमय पूरी नहीं हुयी वहाँ परिवार के सदस्यों में भावनात्मक तथा

शारीरिक समस्याएं अधिक देखने को मिली, बौद्धिक अक्षम बच्चों का प्रबंधन प्रभावित मिला।

2.5.2 बौद्धिक अक्षम बच्चों के परिवार की आवश्यकताएं

पेशावरिया रीता, मेनन डी के व अन्य (1993) द्वारा विकसित राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान पारिवारिक आवश्यकताओं के शीड्यूल के अनुसार पारिवारिक आवश्यकताओं का आकलन में माता–पिता, बौद्धिक अक्षम बच्चे के भाई–बहनों तथा उनके दादा–दादी की बौद्धिक अक्षम बच्चे के संदर्भ में आवश्यकताओं को सम्मिलित किया है।

2.5.2.1 माता–पिता द्वारा व्यक्त किए गए आवश्यकताएं

- बौद्धिक अक्षम बच्चे की स्थिति के संबंध में सूचना की आवश्यकता जैसे बच्चे की दिव्यांगता के संदर्भ में सूचना, उसकी बुद्धिलब्धि, अन्य बिमारियाँ, समस्या व्यवहार इत्यादि, उसके ईलाज प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं।
- बौद्धिक अक्षम बच्चे के कुशल प्रबंधन के संबंध में सूचनाओं की आवश्यकता जैसे कौशल व्यवहार प्रशिक्षण के संदर्भ में सूचना, समस्या व्यवहार प्रबंधन विधि, बौद्धिक अक्षम बच्चों का पारिवारिक क्रियाकलापों में संलग्नता की रणनीतिया आदि।
- बौद्धिक अक्षम बच्चे के संदर्भ में उपलब्ध सेवाओं के संबंध में सूचनाएं जैसे विशेष विद्यालय कहाँ है, नामांकन प्रक्रिया क्या है ? प्रशिक्षण संबंधी सामग्री कहाँ मिलेगी इत्यादि।
- बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए व्यवसायिक योजना के संदर्भ में सूचना जैसे इसे क्या आपके बच्चे के लिए उपयुक्त व्यवसाय के बारे में जानकारी चाहिए।
- उसी भांति बच्चे के संदर्भ में कामुकता/लैंगिकता के मुद्दे भी व्यक्त आवश्यकता की सूची में होते हैं।
- बच्चे की विवाह के मुद्दे।
- बौद्धिक अक्षम बच्चे के माता–पिता के स्वयं के मुद्दे जैसे अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान।
- सरकारी लाभ व कानून के बारे में सूचनाओं से अवगत कराने की आवश्यकता।

2.5.2.2 भाई बहनों द्वारा व्यक्त किए गए आवश्यकताएं

- भाई/बहन की विकलांगता के सन्दर्भ में स्थिति की जानकारी।
- भाई/बहन क्या कर पाएंगे के संदर्भ में सूचना।
- भाई/बहन के समस्या व्यवहार, कौशल व्यवहार प्रशिक्षण के बारे में सूचनाएं।
- उन्हें अपने भाई बहन जो बौद्धिक अक्षम है उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए पेशेवर, सुविधाओं, प्रशिक्षण सामग्रियों या अन्य कार्यों हेतु सूचना।

- उन्हें अपने भाई/बहन की अक्षमता दूसरों को कैसे बताए, इसकी सूचना/जानकारी की आवश्यकता।
- उन्हें दूसरों से मदद की आवश्यकता है जिससे उनके माता–पिता सभी बच्चों पर एक समान समय दे सके।
- उन्हें अपने अक्षम भाई बहनों के लिए सरकार से मिल रही सहायताओं के बारे में सूचना।
- उन्हें अपने माता पिता के मनोबल कैसे बढ़ाया जाय, इस संदर्भ में सूचना चाहिए।

2.5.2.3 दादा–दादी द्वारा व्यक्त किए गए आवश्यकताएं

- अपने पोता/पोतियों की अक्षमता के संदर्भ में सूचना।
- उनके कौशल व्यवहार, समस्या व्यवहार प्रबंधन के संदर्भ में जानकारी।
- उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न विशेषज्ञ, शैक्षिक सामग्री, यंत्र इत्यादि के संदर्भ में सूचना।
- जब आप दुखी, चिन्तित होते हों उसे कम करने हेतु समायोजन कौशलों को सीखने के संदर्भ में सूचनाएं।
- अपने पोता/पोतियों से संबंधित पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यवसाईयों के संदर्भ में सूचनाएं।
- सरकार से मिल रही छूट इत्यादि के संदर्भ में सूचनाएं।

2.6 परिवार हस्तक्षेप की आवश्यकता व तरीके

ऐसे परिवार जहाँ बौद्धिक अक्षम बच्चे का जन्म होता हो उनके परिवार में लम्बे समय तक परिवारिक समस्या बनी रहती है। उनके परिवार में कई प्रकार की समस्याएं जैसे आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आती है जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। अतः पारिवारिक हस्तक्षेप आवश्यक है।

पारिवारिक हस्तक्षेप वह विधि है जिसमें एक व्यवसायी परिवार की समस्याओं का समाधान करता है तथा ऐसे कौशलों को विकसित करता है जिससे परिवार के सदस्य, उत्पन्न स्थितियों का सामना बेहतर ढ़ंग से कर सके।

2.6.1 पारिवारिक हस्तक्षेप की आवश्यकताएं

- परिवार के बौद्धिक अक्षम बच्चे का जन्म परिवार के प्रणाली, उपप्रणाली, कार्य पद्धति को प्रभावित करती है। इस दोषपूर्ण पारिवारिक कार्य पद्धति व उपप्रणाली को दूर कर उसे सुदृढ़ करना।
- अक्षम बच्चे के जन्म के उपरान्त माता–पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के अनुकूलन प्रक्रियाओं की जानकारी एकत्रित करना। वह उनकी अनुकूलन में सहायता करना।

- परिवार के सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- बौद्धिक अक्षम बच्चों के जन्म के उपरान्त परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं का आकलन कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परामर्श देना।
- बौद्धिक अक्षम बच्चे के परिवार के सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य आकलन कर उनकी समस्याओं के निदान के लिए कार्य योजना तैयार करना।

2.6.2 परिवार हस्तक्षेप के विभिन्न चरण

परिवार हस्तक्षेप की तीन मुख्य चरण होते है।

(क) प्रारम्भिक अवस्था : इस अवस्था में व्यवसायी परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर संबंध (rapport) बनाने का प्रयास करना है, जिससे समस्याओं से संबंधित तत्व, उसके कारण, प्रभाव का आसानी से पता लगाया जा सके।

प्रारम्भिक अवस्था में ही व्यवसायी विस्तार से केस हिस्ट्री लेता है तथा परिवार, बच्चे के संबंध में विस्तार से सूचनाओं को एकत्रित करता है। जैसे परिवार की संप्रेषण शैली, सामाजिक पृष्ठभूमि, परिवार में अक्षमता के प्रति दृष्टिकोण, प्रतिक्रियाएं अपेक्षाएं, समस्या समाधान के लिए परिवार के द्वारा अपनायी विधि इत्यादि।

व्यवसायी प्रारंभिक अवस्था में पारिवारिक समस्याओं के आकलन हेतु राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा विकसित पारिवारिक आवश्यकता स्केल, पारिवारिक सहायता स्केल, पारिवारिक प्रभाव स्केल तथा पारिवारिक प्रभावोत्पादकता स्केल का प्रयोग किया जाता है।

(ख) नैदानिक अवस्था : इस अवस्था में विशेषज्ञ साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित तत्वों का विश्लेषण करता है। परिवार में परिवर्तनों का मूल्यांकन कर सहायता के लिए उचित तकनीक का चुनाव करता है।

विभिन्न तकनीकों की सहायता से परिवार की समस्याओं का समाधान कर परिवार में पुनः शक्तियाँ प्रदान करने का प्रयास करता है।

(ग) समापन अवस्था : हस्तक्षेप के अंत में परिवार के सदस्यों तथा व्यवसायी मिलकर परिवार में बदल रहे स्थितियों का मूल्यांकन करता हैं।

2.6.3 परिवार हस्तक्षेप की विधियाँ

पारिवारिक हस्तक्षेप हेतु कई विधियों का प्रयोग होता है – जैसे एकिक परामर्श (Individual Counselling), समूह परामर्श (Group counselling), समूह कार्य (Group work), पारिवारिक चिकित्सा (Family therepy) इत्यादि।

कई अलग–अलग पृष्ठभूमि वाले व्यवसायी, परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं जैसे मनोचिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, परिवार के चिकित्सक, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक, विशेष शिक्षक, पुर्नवास व्यवसायी इत्यादि।

अतः किसी को भी पारिवारिक हस्तक्षेप/कांउसलिंग के लिए एक दृष्टिकोण नहीं मिला है जो हर स्थिति में हर किसी के साथ काम करेगा। कुछ काउन्सलर चिकित्सा मॉडल का उपयोग करते है, कुछ पारिवारिक संरचना व प्रभाव का तो कुछ शैक्षिक मॉडल का। अतः एक परामर्शदता (कांउन्सलर) के पास कितना भी ज्ञान हो, अगर वह आपकी बात को सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, वह आपको मदद नहीं कर पायेगा।

अतः परामर्शदाता के लिए आवश्यक है कि वे केस (Clients)/माता–पिता की समस्याओं को सुने, समझे व समाधान करे। उनके समस्याओं को सुनने के लिए आंखों से सम्पर्क (Eye contact), मुख मुद्रा (Facial expression), खुली मुद्रा (open posture), आमने सामने बैठना (Facing squarely), मौन सर्तकता (attentive silence), खुले प्रश्नों (open questions) व्याख्या (Parapharsing) जैसे कौशलों का सहारा लेना आवश्यक होता है।

केस/माता–पिता के द्वारा बताए गए समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए परामर्शदाताओं को संक्षेपीकरण (Summarizing), सूचना देना (Informing), विषय को समझना, उसका आशय समझना, संबंध जोड़ना, उनके विरोध पर विशेष ध्यान देने जैसे कौशल का प्रयोग करता है।

वहीं समस्याओं के निदान हेतु मस्तिस्क उट्रेलन (Brain stroming), विकल्पों क मूल्यांकन (Evaluating options), अभिकथनों का सुगम बनाना (Facilitating assertion), प्रगति का मूल्यांकन इत्यादि कौशलों का प्रयोग किया जाता है।

2.6.3.1 व्यैक्तिक परामर्श

यह केस/माता–पिता के साथ एक प्रशिक्षित परामर्शदाता के बीच एक सुरक्षित, देखभालयुक्त तथा गोपनीय वातावरण में एकिक परामर्श है। इस व्यवस्था में ग्राहक/केस अपनी समस्याओं को व्यक्त करता है तथा परामर्शदाता उनके विचारों समस्याओं को व्यक्त करने में सहायता करता है।

2.6.3.2 समूह परामर्श

समूह परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें समान मुद्दों, चिंताओं वाले ग्राहक/केस का एक समूह चर्चा करने और उन मुद्दों के बारे में जानकारी और समाधानों के बारे में जानने और साझा करने के लिए परामर्शदाता से मिलता है।

2.6.3.3 समूह कार्य

यह सहयोगी शिक्षण से लाभान्वित होने वाले सदस्यों के स्वैच्छिक संघ का एक रूप है जो समूह सदस्यों में व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करता है व कौशल विकसित करता है जैसे संप्रेषण कौशल, महत्वपूर्ण सोच कौशल, सहयोगी कौशल इत्यादि।

पारिवारिक हस्तक्षेप प्रक्रिया में समूह कार्य समूह चिकित्सा को संदर्भित करता है जो मनोचिकित्सा मनोविश्लेषण आदि के लिए चिकित्सक/परामर्शदाताओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।

2.6.3.4 पारिवारिक चिकित्सा

पारिवारिक चिकित्सा एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक परामर्श है जो परिवार के सदस्यों को संप्रेषण में सुधार करने, संघर्षों का हल करने, परिवार के प्रणाली व उपप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

बोध प्रश्न

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 परिवारिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिखिये।

....
....
....

प्र02 परामर्शदाताओं के लिए केस/(अभिभावकों) की समस्याओं को सुनने के लिए

कौन–कौन से कारण होना चाहिए।

....
....
....

2.7 सारांश

- अक्षम बच्चे का जन्म परिवार में मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला को शुरू करती है। ये प्रतिक्रियाएं सद्मा से शुरू होकर इन्कार, क्रोध, उदासी, अलगाव, पुर्नस्थापना, से गुजरते हुए अनुकूलन की स्थिति तक पहुँचती है। परन्तु वास्तव में अनुकूलन प्रक्रिया चरणबद्ध नहीं होती।

- एक अक्षम बच्चे का जन्म परिवार के संबंधों में कई बदलाव लाता है। उनमें से प्रमुख है वैवाहिक संबंध। अक्षम बच्चे का जन्म इस संबंध को चार प्रकार से प्रभावित करती हैं। 1. यह भावनाओं को उत्तेजित करती है। 2. यह साझा विफलता का प्रतीक है। 3. यह परिवार को पुर्नगठित करती है। 4. संघर्ष के लिए तैयार करती है।

- माता–पिता तथा उनके बच्चे की बीच का संबंध भी अक्षम बच्चे के जन्म के उपरान्त प्रभावित होती हैं। यह बच्चे की लिंग, माता–पिता की वैवाहिक स्थिति, यौन–अभिविन्यास, माता–पिता की उम्र, माता–पिता की स्वयं का स्वास्थ्य व विकलांगता, रोजगार इत्यादि कारकों पर निर्भर करता है।

- भाई बहनों के बीच का संबंध भी प्रभावित होती है। अक्षम बच्चे की देखभाल संबंधी जिम्मेदारी, उसकी शिक्षा व अन्य कार्य, गैर अक्षम भाई–बहनों के शैक्षिक कार्यो में बाधा उत्पन्न करती है।

- ऐसे बच्चे के परिवार की आवश्यकताएं भी विशिष्ट होती हैं। उनकी आवश्यकताएं समय पूरी नहीं की गयी, तो परिवार में कई संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- इन परिवारों को पारिवारिक हस्तक्षेप शीघ्र प्रदान करना चाहिए, जिससे परिवार को संकट से बचाया जा सके। पारिवारिक हस्तक्षेप देने के कई विधियाँ है जैसे

व्यैक्तिक परामर्श, समूह परामर्श, समूह कार्य व पारिवारिक चिकित्सा, जिसका प्रयोग कर परामर्शदाता पारिवारिक हस्तक्षेप दे सकता है।

2.8 शब्दावली

- महसूस की जाने वाली आवश्यकताएं (Felt Need) :

  ये जरूरतें अक्षम व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी होती है या कोई अन्य सदस्य लम्बे समय तक निरीक्षण कर महसूस करता है।

- सद्मा (Shock) :

  यह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं में प्रारम्भिक प्रतिक्रिया है जब माता–पिता को सर्वप्रथम बच्चे की दिव्यांगता/अक्षमता के बारे में सूचित किया जाता है। इस अवस्था में माता–पिता भ्रमित संवेदनहीन, असहाय, मजबूर महसूस करता है।

- पारिवारिक हस्तक्षेप : वह विधि जिसमें व्यवसायी परिवार की समस्याओं का समाधान करने तथा ऐसे कौशलों को विकसित करता है जिससे परिवार के सदस्य उत्पन्न स्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर सके।

2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न– पारिवारिक हस्तक्षेप की आवश्यकताओं को लिखे।

उत्तर– बौद्धिक अक्षम बच्चों के परिवार में पारिवारिक हस्तक्षेप की निम्न आवश्यकताएं है –

- परिवार में बौद्धिक अक्षम बच्चे का जन्म परिवार के प्रणाली, उपप्रणाली, कार्य पद्धति को प्रभावित करती है। इन दोषों को दूर करने हेतु हस्तक्षेप आवश्यक है।
- यह उनकी अनुकूलन में सहायक है।
- परिवार की सहायता प्रणाली सुदृढ़ करती हैं।
- परिवार के सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करता है।
- परिवार के विशेष आवश्यकताओं की आकलन कर उसे पूरा करने में सहायक है।

प्रश्न– परामर्शदाताओं के लिए केस/(अभिभावकों) की समस्याओं को सुनने के लिए कौन–कौन से कौशल होना चाहिए।

उत्तर– अभिभावकों/केस के समस्याओं को सुनने के लिए आँखों से संपर्क, मुख मुद्रा, खुली मुद्रा अभिभावक के सामने बैठना, मौन सतर्कता, खुले प्रश्नों, व्याख्या करना जैसे कौशलों का सहारा लेना होता है।

2.10 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

1. एक अक्षम बच्चें का जन्म परिवार को कैसे प्रभावित करता है ? लिखे।
2. अक्षम बच्चें के परिवार की आवश्यकताओं का आकलन क्यों आवश्यक है ? उनके परिवार के माता–पिता की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें।

3. पारिवारिक हस्तक्षेप क्या है ? पारिवारिक हस्तक्षेप के विभिन्न चरणों को लिखे।

4. पारिवारिक हस्तक्षेप देने के विभिन्न तरीके/विधियों की चर्चा करें।

2.11 हर्न्बी, जी (1994) काउन्सिलिंग इन चाईल्ड डिसेबिलिटिज स्किल फॉर वर्किंग विथ पैरेन्टस् लन्दन : चैपमैन व हॉल

पेशावरिया आर, मेनन डी0के0, गांगुली आर, राय, एस, पिलैइ आर, गुप्ता ए (1995) अन्डर स्टैन्डिंग इंडियन फैमिलीज, सिकन्दराबाद : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान।

पैकिंगधाम के (2016) रेजिंग अ चाइल्ड विथ ए सीवियर डिसेबिलीटी द इम्पैक्ट ऑन पैरेन्टस् एण्ड सिबलिंग http:/repositerry.st.cloudstate.edu/spee_etds/10.

इकाई – 3

बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के पुर्नवास में परिवार की भूमिका

संरचना

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 परिवार के कार्य

3.4 बौद्धिक अक्षम बच्चों के वसन में परिवार की भूमिका

3.4.1 वसन व पुर्नवसन का अर्थ

3.4.2 परिवार की भूमिका

3.4.2.1 दैनिक देखभाल क्रियाओं में भूमिका

3.4.2.2 भावनात्मक बंधन

3.4.2.3 प्रशिक्षण व शिक्षा

3.4.2.4 आर्थिक सुरक्षा

3.4.2.5 चिकित्सीय कार्य

3.4.2.6 मनोरंजन संबंधी कार्य

3.5 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के वसन में जीवन चक्र दृष्टिकोण के अन्तर्गत परिवार की भूमिका

3.6 सारांश

3.7 शब्दावली

3.8 बोध प्रश्न के उत्तर

3.9 संदर्भ

3.10 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

3.1 प्रस्तावना

परिवार सार्वभौमिक तथा मौलिक सामाजिक संस्था है जो मानव समाज में कई प्रकार के कार्य करती है। आगबर्न और नीमकोफ जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने परिवार के मुख्य कार्यों में लालन–पालन, आर्थिक, सुरक्षा, धार्मिक तथा शैक्षिक कार्य को माना है। वही डेविस ने परिवार के कार्यों को चार प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है जैसे प्रजनन, रख रखाव, स्थानान्तरण एवं युवा का सामाजीकरण।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए भी परिवार महत्वपूर्ण समर्थन का स्रोत है। उनके विशिष्ट देखभाल, शैक्षिक चिकित्सीय जरूरतें परिवार के सदस्यों के सहयोग से पूरा किया जाता है। इस इकाई में आप बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के पुर्नवास में परिवार की विभिन्न भूमिका का अध्ययन करेंगे।

3.2 उद्देश्य

इस यूनिट के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेगें –

- परिवार के कार्य व उनके भूमिका से अवगत हो सकेगें।
- जीवन चक्र दृष्टिकोण के अन्तर्गत परिवार की बदलती भूमिका को समझने में व वर्णन करने में सक्षम हो सकेगें।

3.3 परिवार के कार्य

परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक इकाई है तथा यह अपने परिवार के व्यक्तिगत सदस्यों के साथ–साथ बड़े पैमाने पर समाज के लिए भी आवश्यक कार्य करता है।

मानव समाज मे ंपरिवार की महत्ता ने परिवार को कार्यों की कई भागों में विभाजित किया है–

I. जैविकीय कार्य :

(अ) यौन इच्छाओं की पूर्ति : यह परिवार का महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य है। परिवार में व्यक्ति विवाहित जीवन को सफल बनाने तथा समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है।

(ब) सन्तानोत्पत्ति एवं बच्चों का पालन यौन इच्छाओं की पूर्ति के साथ–साथ संतान उत्पत्ति की क्रिया भी शुरू हो जाती हैं। यह परिवार की निरन्तरता को बनाए रखता है। बच्चों का लालन–पालन, उनकी शिक्षा आदि कार्य परिवार ही करता है।

(स) भोजन व आवास का प्रबन्ध करना : परिवार सभी सदस्यों के लिए सामान्य जीवन यापन के लिए भोजन व आवास का प्रबन्ध करता हैं।

II. आर्थिक कार्य :

प्राचीन काल से परिवार कई आर्थिक कार्य करता रहा है। आधुनिक काल में अब स्त्री व पुरूष दोनों ही रोजगार में कार्यरत रहते है।

III. सामाजिक कार्य :

परिवार के द्वारा ही बालक का सामाजिक विकास होता है। परिवार में वह संस्कृति, प्रथाएं, रीति–रिवाज आदि का ज्ञान प्राप्त करता है।

IV. मनोवैज्ञानिक कार्य :

यह परिवार में सदस्यों को मानसिक सुरक्षा, सहयोग, प्रेम इत्यादि प्रदान करता है। यह स्वस्थ वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व को निखारता हैं।

V. शैक्षिक कार्य :

परिवार, सदस्यों के लिए कई शैक्षिक कार्य करता हैं। परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है जहाँ वह नैतिक शिक्षा व सामाजिक शिक्षा प्राप्त करता है।

VI. मनोरंजनात्मक कार्य :

परिवार के द्वारा मनाये जा रहे पर्व, त्योहार उत्सव आदि के द्वारा परिवार का मनोरंजन होता है। साथ में छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाना, उसका खेलना–कूदना आदि क्रिया–कलाप मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है।

VII. स्वास्थ्य संबंधी कार्य :

परिवार अपने सदस्यों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई कार्य करता है। परिवार में वृद्ध व्यक्तियों का ध्यान रखना, बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना, परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कार्य हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों के परिवार के कार्य भी गैर विकलांग बच्चों के परिवार के कार्यों के समान है परन्तु यह कार्य लम्बे समय तक सतत् करने होते हैं।

3.4 बौद्धिक अक्षम बच्चों के वसन में परिवार की भूमिका

समाज या समाज की इकाई द्वारा दी गई स्थिति एक व्यक्ति को दी गई, भूमिका कहलाती है।

ओगबर्न और निमकॉफ (1958) के अनुसार "भूमिका सामाजिक रूप से अपेक्षित और स्वीकृत व्यवहार पैटर्न का एक सेट है जिसमें दोनों कर्तव्यों और विशेषधिकारों से मिलकर एक समूह में विशेष स्थिति से जुड़ा होता है।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के वसन में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनके दैनिक देखभाल शिक्षण–प्रशिक्षण, भावनात्मक बंधन, आर्थिक सुरक्षा, चिकित्सीय कार्य, मनोरंजन इत्यादि में परिवार के सदस्य आवश्यक सहयोग करते हैं।

3.4.1 वसन तथा पुर्नवसन/पुनर्वास का अर्थ

पुर्नवसन सामान्य तौर पर वसन के विस्तृत प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जाता है। वासन सामान्य तौर पर वह प्रयास है जहाँ व्यक्ति में जन्म से ही कुछ कमियाँ होती हैं, उनकी सहायता की जाती है ताकि वह अपनी क्षमतानुसार अधिकतम विकास कर सके।

जबकि, पुर्नवास व्यक्ति के खोयी हुयी योग्यता को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है। पुर्नवास में व्यक्ति अक्षमता से पहले उच्चतम स्तर का कार्य करने की क्षमता का विकास कर लिया होता है परन्तु अचानक किसी घटना से कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। अतः आवश्यकता है सुनियोजित रूपरेखा के अन्तर्गत प्रयास किया जाय जिससे वह पुनः योग्यता को प्राप्त कर सके।

वसन व पुर्नवसन में अंतर :

	वसन		पुर्नवसन
1.	यह जन्म से कुछ कमियां वाले व्यक्तियों को दी जाती	1.	यह जन्म के बाद उच्चतम स्तर प्राप्त करने के उपरान्त खोयी हुयी क्षमता को विकसित

	है।		के लिए दिया जाता है।
2.	यह लंबी अवधि की प्रक्रिया है।	2.	ये लंबी अवधि व लघु अवधि की भी हो सकती है
3.	इसके अन्तर्गत बच्चों को कौशल कार्यक्रमों को संचालित कर लाभ दिया जाता है।	3.	व्यक्ति की दिव्यांगता की स्थिति को ध्यान में रखकर चिकित्सा दी जाती है।
4.	यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है।	4.	यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें वसन भी सम्मिलित होता है।

3.4.2 परिवार की भूमिका

बौद्धिक अक्षम बच्चों के वसन में परिवार की निम्न भूमिका होती है –

3.4.2.1 दैनिक देखभाल की क्रियाओं में भूमिका

बौद्धिक अक्षम बच्चे को दैनिक देखभाल की क्रियाओं में सतत् देखभाल व सहायता की आवश्यकता होती है। इनमें उन्हें भोजन कराना, स्नान करना, कपड़े पहनाना, मल मूत्र, त्याग करना, उन्हें सुलाना सामान्य स्वास्थ्य देखभाल करना जैसे कार्य हो सकते हैं। ये जिम्मेदारियाँ अक्षम बच्चे की उम्र, उसके विकलांगता का स्तर/गंभीरता, स्थिति जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

जिम्मेदारियों का यह कालक्रम माता–पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। विशेष कर माता पर जिनके पास जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। (पेशावरिया, इत्यादि 1995)

3.4.2.2 भावनात्मक बंधन

प्रारम्भिक वर्ष जो कि बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण वर्ष होते है, ऐसे समय उनके स्वयं की विकास के लिए अनुभवों से भरपूर वातावरण की आवश्यकता होती है। इन बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं में से सुरक्षा, स्वीकार्यता परिवार में से प्राप्त होता है। ये उनके अंदर विश्वास पैदा करने में सहायता करती है जो बाद के वर्षों में उन्हें समायोजित व्यस्कों के रूप में विकास करती है।

अतः बच्चे और परिवार के जड़ों के बीच का जुड़ाव या रिश्ता की उनके भविष्य की राह प्रस्तुत करती है।

3.4.2.3 प्रशिक्षण व शिक्षा

परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है तथा उसके माता–पिता, भाई–बहन, दादा–दादी पड़ोसी सभी बहुत सारे लोग एक शिक्षक की भूमिका में होते हैं बच्चे के प्रारम्भिक वर्ष की शिक्षा से शुरू होकर व्यवसायिक स्तर तक की शिक्षा तक परिवार की सहभागिता बनी रहती है। प्रारम्भिक वर्षों में एक बौद्धिक अक्षम बच्चों को जहाँ दैनिक जीवन के क्रिया कलापों, गामक, सामाजिक व भाषा सम्प्रेषण कौशलों को प्राथमिकता दी

जाती है वही माध्यमिक तथा पूर्व व्यवसायिक स्तर पर उपरोक्त कौशलों को आगे वृहद करके सिखाया जाता है।

कार्यात्मक शिक्षा में पढ़ना, लिखना, संख्या, समय, रूपया–पैसा का ज्ञान भी सभी स्तरों पर सम्मिलित हैं। किसी भी कौशलों को सीखने में विशेष शिक्षक को परिवार के सदस्यों की सहभागिता आवश्यक होती है। ये सहभागिता इन बच्चों को कौशलों को सीखाने, उसकी सततशीलता बनाए रखने तथा उसके सामान्यीकरण के चरणों में बनी रहती है।

3.4.2.4 आर्थिक सुरक्षा

परिवार सभी सदस्यों के लिए प्रदाता की भूमिका में होता है। यह सदस्यों को भोजन, रहने के लिए घर, कपड़े तथा अन्य आवश्यकता की पूर्ति करता है।

एक बौद्धिक अक्षम बच्चे का जन्म परिवार में कई अतिरिक्त खर्च को लेकर आता है। ये उनके निरन्तर शीघ्र उपचार के अन्तर्गत विभिन्न सेवाएं जैसे वाक्‌चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, दवाई, सर्जरी इत्यादि, शिक्षा के अन्तर्गत स्कूल की फीस, उपकरण, सह उपकरण यातायात सहयोगियों तथा अन्य खर्च, तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण व रोजगार से जुड़े होते हैं। पेशावरिया व अन्य (1995) ने अपने अध्ययन में पाया कि ये आर्थिक मामले परिवार के तनाव का मुख्य कारक है।

3.4.2.5 चिकित्सीय कार्य

परिवार अपने सदस्यों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई कार्य करता है। बौद्धिक अक्षम बच्चे के जन्मोपरान्त उनके वसन हेतु कई प्रकार की चिकित्सा जैसे ड्रग थिरैपी, सर्जरी, वाक् चिकित्सकीय, भौतिक चिकित्सा, संगीत, योग, नृत्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कई चिकित्सा की आवश्यकता उन्हें आजीवन बनी रहती है।

3.4.2.6 मनोरजन संबंधी कार्य

बौद्धिक अक्षम बच्चों का अधिकतम समय शिक्षण–प्रशिक्षण व चिकित्सीय कार्यक्रम में व्यतीत होता है। अतः यह आवश्यक है कि उनके खाली समय को सुखद व मनोरंजक बनाया जाए। उसी भांति परिवार के सदस्यों का अधिकतम समय अपने अन्य बच्चों तथा विशिष्ट बालक के इर्द–गिर्द रहता है। अतः उन्हें भी मनोरंजन के लिए समय चाहिए। मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी परिवार की भूमिका अहम होती है। परिवार बच्चों संग पिकनिक, खेलकूद , प्रदर्शनी, सिनेमा इत्यादि देखकर मनोरंजन कर सकते है।

3.5 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के वसन में जीवन चक्र दृष्टिकोण के अन्तर्गत परिवार की भूमिका जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में परिवार की भूमिका बदलती रहती है

(क) शीघ्र उपचार व पूर्व वातावरण विशेष शिक्षा –

- वैधानिक सूचना प्राप्त करना।
- शीघ्र उपचार से संबंधित अधिकतम सूचनाएं एकत्रित करना।

- मेडिकल तथा पुर्नवास विशेषज्ञों के दिशा निर्देश में हस्तक्षेप प्रारम्भ करना।
- विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार घर में भी बच्चे को प्राथमिकता। चिकित्सीय सहायता देना।
- अन्य अभिभावकों से संपर्क करना जिनके परिवार वहीं समस्या हो
- ंमनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का समायोजन करना।
- बच्चे के दैनिक देखभाल संबंधित कार्य करना।

(ख) शिक्षा / प्रशिक्षण :

- बौद्धिक अक्षम बच्चे की शिक्षा / प्रशिक्षण के लिए उचित निर्णय लेना।
- वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करने में विशेष शिक्षक को सहायता करना जैसे बच्चे का आकलन, लक्ष्य निर्धारण, प्रशिक्षण, मूल्यांकन इत्यादि।
- बच्चे के विशिष्ट आवश्यकतानुसार अन्य व्यवसायियों जैसे वाक् चिकित्सक् भौतिक चिकित्सक, योग चिकित्सक से चिकित्सा लेना।
- बच्चे को घर में प्रशिक्षण देना।
- व्यवहार सुधार कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग करना।
- समुदाय में बाधा मुक्त वातावरण सृजित करने हेतु प्रयास करना।
- बच्चे में आत्म वकालत कौशल विकसित करने में सहयोग करना।
- बच्चों में मूल्य, अभिवृत्ति तथा आदतों को विकसित करना।
- उन्हें मानव संबंधी (सामाजिक कौशलों), व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत कौशलों में आत्म निर्भरता।
- परिवार के सदस्यों को एकमत होकर बच्चे के वैयक्तिक व्यावसायिक कार्यक्रम में सहयोग करना व समुदाय के विभिन्न एजेन्सियों के साथ मिल कर कार्य करना।

(ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार :

- बौद्धिक अक्षम बच्चे के व्यवसाय चुनने में शिक्षक तथा अपने बच्चे को सहयोग करना।
- उन्हें कार्य संबंधी कौशल, कार्य स्थल के माहौल में सामाजिक कौशलों को विकसित करने में सक्रिय सहयोग देना।
- रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आश्रयदत्त, खुली तथा स्व रोजगार के माध्यम का चयन कर बच्चे को उसके लिए प्रोत्साहित करना।

- जिन परिवारों के पास स्वरोजगार के श्रोत या साधन है उन्हें अपने बौद्धिक अक्षम बच्चे की सहायता व देख रेख हेतु तैयार करना।
- अपने व्यस्क बच्चे को रूपये पैसे प्रबंधन, मनोरंजन तथा अवकाश कालीन कौशलों, आत्म वकालत कौशलों में निरन्तर प्रशिक्षण में सहयोग देना।
- स्वतंत्र जीवन यापन के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना।

(घ) प्रौढ़ावस्था व बुढ़ापा :

- बौद्धिक जीवन के क्रियाकलापों जैसे कपड़े पहनना, शौच क्रिया, भोजन, आवागमन में आवश्यकतानुसार सहायता देना।
- शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- उसके आवश्यकताओं की वकालत करना।
- परिवार के अन्य सदस्यों को बौद्धिक अक्षम भाई/बहन की संरक्षणता Guradianship के लिए तैयार करना।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 परिवार के विभिन्न कार्यों के नाम बताइयें।

....
....
....
....
....

प्र02 वसन तथा पुर्नवसन के/पुर्नवसन में अन्तर बताओं ?

....
....
....
....
....

3.6 सारांश

VIII. परिवार सार्वभौमिक तथा मौलिक सामाजिक संस्था है जो मानव समाज में कई प्रकार के कार्य करती है। जैसेः–जैविकीय कार्य , आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, शैक्षिक कार्य, मनोरंजनात्मक कार्य, स्वास्थ्य संबंधी कार्य इत्यादि। बौद्धिक अक्षम बच्चों के दैनिक देखभाल मे परिवार अहम भूमिका निभाता हैं।

3.7 शब्दावली

वसन :– इसमें व्यक्ति में जन्म से ही कुछ कमिया होती है, उनकी सहायता की जाती है।

पुर्नवसन :– इसने व्यक्ति की खोयी हुई योग्यता को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है।

3.8 बोध प्रश्न के उत्तर

प्र0 : परिवार के विभिन्न कार्यों के नाम बताइयें।

उ0 : परिवार के विभिन्न कार्य जैसे : जैविकीय कार्य, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, शैक्षिक कार्य, मनोरंजनात्मक कार्य, स्वास्थ्य संबंधी कार्य इत्यादि।

प्र0 : वसन तथा पुर्नवसन के/पुर्नवसन में अन्तर बताओं ?

उ0 :

	वसन		**पुर्नवसन**
1.	यह जन्म से कुछ कमियां वाले व्यक्तियों को दी जाती है।	1.	यह जन्म के बाद उच्चतम स्तर प्राप्त करने के उपरान्त खोयी हुयी क्षमता को विकसित के लिए दिया जाता है।
2.	यह लंबी अवधि की प्रक्रिया है।	2.	ये लंबी अवधि व लघु अवधि की भी हो सकती है
3.	इसके अन्तर्गत बच्चों को कौशल कार्यक्रमों को संचालित कर लाभ दिया जाता है।	3.	व्यक्ति की दिव्यांगता की स्थिति को ध्यान में रखकर चिकित्सा दी जाती है।
4.	यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है।	4.	यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें वसन भी सम्मिलित होता है।

3.9 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

1. बौद्दिक अक्षम व्यक्तियों के वसन में जीवन चक्र दृष्टिकोण पर अपने विचार दीजिए।

3.10 संदर्भ

फीवेल, आर, एण्ड वॉउसी, पी, (1936) फेमिलीज आफ हैडीकैपक्ड चिल्ड्रन : नीड्स एण्ड सपोर्ट एक्रास दि लाइफ स्पेन, टेक्सासः रो–इड–इक रस्टेनमेट्स एस, एण्ड स्टीन, के (1988) ट्रेडिशनल एण्ड इर्मजिंग फेमिलिज : ए टायपालॉजी बेस्ट आन स्ट्रक्टचर एण्ड फक्शनस् फैमिली साईन्स रिव्यू 1,2, 103–114.

B.Ed. SE-95

मनोसामाजिक और पारिवारिक मुद्दे

(बौद्धिक अक्षमता)

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

खण्ड – 2

मनोसामाजिक मुद्दे

इकाई – 4 45

परिवार, समुदाय, सहपाठी, शिक्षकों व सहकर्मियों की अभिवृत्ति

इकाई – 5 55

मिथक, गलत धारणाएँ तथा सामाजिक प्रथा

इकाई – 6 63

मनोसामाजिक मुद्दे

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 के0एन0 सिंह — कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय — प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रो0 सीमा सिंह — आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रो0 सुषमा पाण्डेय — आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, डी0डी0यू0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर

प्रो0 रजनी रंजन सिंह — आचार्य, विशेष शिक्षा विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ0 जी0 के0 द्विवेदी — सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

डॉ0 दिनेश सिंह — सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक

डॉ. संजय कुमार — असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डॉ. भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

सम्पादक

प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय — प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

परिमापक

डॉ0 कौशल शर्मा — एसोसियएट प्रोफेसर, डॉ. भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा — परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज.

प्रकाशक

सितम्बर, 2019 (मुद्रित)

© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2019

ISBN-

सर्वाधिक सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में, मिमियोग्राफी (वक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठयसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
नोट : पाठय सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आमड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन – उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

खण्ड परिचय

खण्ड–2 **मनोसामाजिक मुद्दे** : ऐतिहासिक दृष्टि से समाज के लोगों की अभिवृत्ति बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक तथा भिन्न थी। समय के साथ अभिवृत्ति में बदलाव आया है।

इकाई–4 में आप बौद्धिक अक्षमता के प्रति उसके परिवार, समुदाय, शिक्षक व सहकर्मियों की अभिवृत्ति का अध्ययन करेगे।

इकाई–5 में आप बौद्धिक अक्षमता के प्रति परिवार समुदाय व समाज में व्याप्त अवधारणाएं, मिथ्या तथा सामाजिक रीति–रिवाज को परिचित होगे।

इकाइ–6 में आप मनोसामाजिक मुद्दों के अन्तर्गत शोषण अपराध, बालश्रम व बाल अपराध से परिचित होंगे तथा अधिकारिता आधारित समाज के निर्माण हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अंर्तराष्ट्रीय कानूनो, अधिकारों एवं वकालत कौशलों से अवगत होगे।

इकाई – 4

परिवार, समुदाय, सहपाठी, शिक्षकों व सहकर्मियों की अभिवृत्ति

संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 अभिवृत्तित क्या है ?

4.4 अभिवृत्ति : एतिहासिक परिप्रेक्ष्य (बौद्धिक अक्षम बच्चों/व्यक्तियों के संदर्भ में)।

4.5 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति

4.5.1 परिवार तथा माता–पिता की अभिवृत्ति

4.5.2 समुदाय की अभिवृत्ति

4.5.3 सहपाठियों की बौद्धिक अक्षमता के प्रति अभिवृत्ति

4.5.4 शिक्षकों की अभिवृत्ति

4.5.5 सहकर्मियों की अभिवृत्ति

4.6 अभिवृत्ति में बदलाव के रणनीतियाँ

4.6.1 व्यक्तिगत स्तर पर अभिवृत्ति में बदलाव की रणनीतियाँ

4.6.2 संगणनात्मक स्तर पर अभिवृत्ति में बदलाव की रणनीतियाँ

4.6.3 संरचनात्मक स्तर पर अभिवृत्ति में बदलाव की रणनीतियाँ

4.7 सारांश

4.8 शब्दावली

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.10 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

4.11 संदर्भ

4.1 प्रस्तावना

ऐतिहासिक दृष्टि से समाज के लोगों की अभिवृत्ति बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के प्रति वरणात्मक तथा भिन्न थी। समय के साथ सामाजिक परिवर्तन अभिवृत्ति में भी बदलाव

लाया। विगत् कुछ दशकों में इन व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं में काफी प्रगति हुई है। उन्हें समावेशित शिक्षा दिया जा रहा है तथा विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में सरकारी नौकरी में आरक्षण, 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच वाले प्रत्येक बौद्धिक अक्षम तथा अन्य निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया है।

लोग महसूस करने लगे कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को भी जाने और समाज से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इन यूनिट में आप बौद्धिक अक्षमता के प्रति उसके परिवार समुदाय, शिक्षक व सहकर्मी की अभिवृत्तियों, का अध्ययन करेंगे तथा साथ में अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए अपनाए जाने वाले रणनीतियों से परिचित होगे।

4.2 उद्देश्य

इस यूनिट के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेगें:–

- अभिवृत्ति की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षमता को परीभषित कर सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति एवं अभिवृत्ति में बदलाव के विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा कर सकेगें।

4.3 अभिवृत्ति क्या है?

अभिवृत्ति का संबंध हमारे विचारों, व्यवहारों या वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण से है जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है।

जंग के अनुसार अभिवृत्ति एक निश्चित तरीके से कार्य करने या प्रक्रिया करने के लिए मानस (Psyche) की तत्परता है।

अविनहम 1992 के अनुसार :

अभिवृत्ति तत्परता की वह स्थिति है जब कुछ उद्दीपन देने पर एक निश्चित तरीके से प्रक्रिया करने की प्रवृति प्रदर्शित हो।

हॉग व वॉगन (2005) के अनुसार :

(क) अभिवृत्तित सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण, वस्तुओं समूहों, घटनाओं या प्रतीकों के प्रति विश्वास भावना और व्यवहार की प्रवृत्ति का एक अपेक्षाकृत स्थायी संगठन है।

(ख) किसी वस्तु, व्यक्ति या मुद्दे के बारे में सामान्य भावना (Feeling) या मूल्यांकन (सकारात्मक / नकारात्मक)।

4.3.1 हम किसी के प्रति अभिवृत्तित क्यों रखते है?

शैविट (1989) के अनुसार अभिवृत्तित चार प्रमुख कार्यों को पूरा करता है।

(क) ज्ञान कार्य : यह वस्तुओं के प्रति अभिवृत्तित, उन्हें प्रतिक्रिया देने का कुशल एवं अपेक्षाकृत आसान तरीका है।

(ख) उपयोग कार्य :

अभिवृत्तित, पुर्नबलन प्राप्त करने तथा सजा से बचने के लिए व्यवहार में सहायक है।

(ग) आत्म सम्मान बनाए रखना : यह मनपसंद वस्तुओं, घटना इत्याद के साथ स्वयं को संरक्षण करने में सहायक है।

(घ) सामाजिक पहचान कार्य :

यह व्यक्तिगत मूल्यों को व्यक्त करने तथा एक ही दृष्टिकोण का सर्मथन करने वाले सामाजिक समूह के साथ पहचान बनाने में सहायक है।

4.4 अभिवृत्ति

बौद्धिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (बौद्धिक अक्षम बच्चों के संदर्भ में) ऐतिहासिक दृष्टि से समाज के लोगों की अभिवृत्तित ॠणात्मक और भिन्न थी। उसे निम्न चरणों में बाँटा गया है।

1. अस्वीकार करना :

प्रारम्भिक समाज में कोई कमजोरी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। प्रत्येक जनजातियों ने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। चूँकि बौद्धिक अक्षम बच्चे अनुत्पादक सदस्य थे, उन्हें समाज पर बोझ समझा जाता था और उन्हें अस्वीकार किया जाता। अस्वीकृत व्यक्तियों के साथ क्रूर, अमानवीय व्यवहार किए जाते थे।

2. हास्य :

1000 बी0सी0 के पहले बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का प्रयोग मनोरंजन, दावत बनाने में किया जाता था। उनके परिवार के सदस्य उसे स्वीकार किया तथा उपहास की उम्मीद भी करते थे। यह कम से कम उसके परिवार की जीविका चलाने का साधन प्रदान किया और यह एक उन्नत समाज का प्रतिनिधित्व भी करता था।

3. दशा :

ईसाई (क्रिश्चन) मिशनरी तथा बौद्ध धर्मावलंबियों ने अक्षम व्यक्तियों के प्रति अन्याय पूर्ण चलन/प्रथा (Practices) का विरोध किया तथा उनके लिए पागल खाने, आश्रय गृह, अस्पताल आदि का निर्माण कराया।

4- नई सामाजिक मनोवृत्ति :

विभिन्न दार्शनिकों के प्रयास से संवेदानावाद का उदय हुआ जिसके कारण बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के प्रति समाज में नई सामाजिक मनोवृति की नींव पड़ी।

अमेरिकी, फ्रांसीसी क्रांति भी मानवता के दर्शन को प्रभावित किया।

5- वर्तमान में मनोवृत्ति :

उपरोक्त में वर्णित आदिम दृष्टिकोण जैसे अस्वीकृति, हास्य और दया आज भी बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए आम प्रतिक्रियाएं है। ये नकारात्मक मनोवृति की जड़े बहुत ही गहरी व प्राचीन हैं।

विगत् दो दशकों में अक्षम व्यक्तियों के लिए किए गए प्रयास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के मनोवृति में बदलाव लाया है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 006 ने विश्व व्यापक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में लोगों

के नजरिये को बदलने का प्रयास किया। विकलांग व्यक्ति अब अपने समुदाय में परिवार के साथ समावेशित वातावरण में जीवन यापन का प्रयास कर रहे हैं। वे प्यार, देखभाल, स्वतंत्रता और सभी मानव गरिमा के अपने अयोग्य अधिकार पर जोर दे रहे है।

4.5 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति

4.5.1 परिवार तथा माता–पिता की अभिवृत्ति

बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रति उसके परिवार के अभिवृत्तितयों से इंकार करना, आत्म दया, आत्म अपराध की भावना, शर्म और अवसाद तथा पारस्परिक निर्भरता के स्वरूप, आम हैं।

माता–पिता अपने बच्चों को प्यार तो करते हैं परन्तु बौद्धिक अक्षमता के कारण ने कई प्रकार के नकारात्मक अभिवृत्तियों को प्रदेर्शित भी करते हैं जैसे –

(क) अस्वीकार करना – माता–पिता नाराजगी व अपराध बोध के कारण बच्चे को अस्वीकार कर सकते हैं।

(ख) अतिसुरक्षा – वही दूसरी ओर कुछ माता–पिता अपने बच्चे के प्रति सहानुभूति या अपराध भाव प्रतिक्रियावश बच्चे को आवश्यकता से अधिक देखभाल व नियंत्रण रखते हैं।

(ग) आशक्ति – कुछ माता–पिता अपने बच्चों को अनुशासित रखने हेतु अत्यधिक दयालुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

(घ) पक्षपात – माता–पिता अपने बच्चों के देखभाल व चिकित्सा, शिक्षा में अन्य बच्चों को तुलना में बौद्धिक अक्षम बच्चों को अधिक समय लाड़–प्यार व उन पर खर्चे कर पक्षपात भी करते है।

(ड.) अभिभावक महत्वाकांक्षा – कुछ माता–पिता को अपने बच्चों से अपेक्षाएं अधिक होती है जिससे उनमें अपर्याप्त की भावना विकसित होती हैं।

4.5.2 समुदाय की अभिवृत्तित

प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण का, हिस्सा व उपज है, उसी भांति एक बौद्धिक अक्षम व्यक्ति भी है। दुख की बात यह है कि एक अक्षम व्यक्ति सामाजिक की तुलना में अपनी अक्षमता से कम विकलांग है। (Less handicapped by their own disability than by the social attitude).

यजबेक एवं अन्य सहयोगियों (2004) ने अपने अध्ययन में पाया कि युवा जो बेहतर शिक्षित थे तथा जो बौद्धिक अक्षम बच्चों/व्यक्तियों के नियमित संपर्क में थे, वे अन्य के तुलना में उनके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते थे। वे बौद्धिक अक्षमता के लिए प्रजनन संबंधी स्पष्टीकरण पर कम विश्वास करने तथा समुदाय समावेशन का समर्थन करते थे।

कुछ अध्ययन यह भी प्रदर्शित करता है कि छात्र जिस विषय क्षेत्र में अध्ययन कर रह है वह भी अभिवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। हार्नरजॉनसन रह–अल (2000) ने अपने अध्ययन में पाया जो छात्र चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान, समाज कार्य, विशेष शिक्षा

विषयों का अध्ययन कर रहे थे वे, अन्य विधा (अर्थशास्त्र, प्रवधन शास्त्र, इंजीनियरिंग) के छात्रों के तुलना में बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के प्रति असुविधा की रिपोर्ट कर्म दर्ज करायी।

वहीं यजवेक एवं अन्य सहयोगियों (2004) ने पाया कि वे व्यक्ति जो चालीस वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे तथा जिन्होंने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, वे विकलांग व्यक्तियों के साथ कार्य स्थल में असुविधा महसूस करते थे।

4.5.3 सहपाठियों का बौद्धिक अक्षमता के प्रति अभिवृत्ति

बौद्धिक अक्षम बच्चों को सामाजिक अस्वीकृति का मुख्य कारण उनका बुनियादी पारस्परिक कौशलों तथा मनोसामाजिक कौशलों में अभाव है। इसके साथ–साथ सामाजिक अस्वीकृति का दूसरा प्रमुख कारण सहपाठियों का उनके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है।

सकारात्मक सहपाठियों का अभिवृत्ति, बौद्धिक अक्षम बच्चों का सामान्यीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है तथा साथ में मुख्य धारा में समेकीकरण को बढ़ाता है।

निम्नलिखित कारक लगातार बौद्धिक अक्षम बच्चे सहकर्मियों के प्रति बच्चों के अभिवृत्ति को प्रभावित करती है –

- उम्र – अधिक उम्र के बौद्धिक अक्षम बच्चे नकारात्मक अभिवृत्ति व्यक्त करते हैं।
- लिंग – लड़कियों को अधिक अनुकूल होने के साथ।
- माता–पिता तथा शिक्षकों का बौद्धिक अक्षमता के प्रति अभिवृत्ति।
- बौद्धिक अक्षम छात्रों के साथ संपर्क – जो बच्चे ऐसे बच्चे के संपर्क में होते हैं, वे सकारात्मक अभिवृत्ति व्यक्त करते हैं।
- बच्चे का लेबल तथा व्यवहारगत विशेषताएं

4.5.4 शिक्षकों की अभिवृत्ति

कई शिक्षक बौद्धिक अक्षम बच्चों की समावेशी शिक्षा के प्रति क्रोध, हताशा तथा नकारात्मक अभिवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। वे उन बच्चों से डरते हैं तथा काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि यह उनके शैक्षणिक स्तर को कम कर सकता है।

एक सफल शिक्षक वही है जो ऐसे बच्चे के शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता हो तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में योग्यता/शिक्षा, अनुभव व आत्म विश्वास उसमें महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

4.5.5 सहकर्मियों की अभिवृत्ति

कई सहकर्मी बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति प्रदेर्शित करते हैं जैसे ये आक्रामक होते हैं, सहकर्मियों का अच्छा दोस्त नहीं हो सकते, ये एक समान कार्य करने में ही दक्ष होते हैं, मंदबुद्धि सहकर्मी जिद्दी होते हैं इत्यादि।

ये नकारात्मक दृष्टिकोण बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को अपनी पूर्ण कार्यक्षमता को प्रदेर्शित नहीं कर पाते तथा कई तो नौकरी बीच में ही छोड़ देते है।

रोजगार के सम्बन्ध में अनुसंधान में पाया गया नियोक्ताओं के बीच नकारात्मक अभिवृत्ति और गलत धारणाएं बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को समावेशन में महत्वपूर्ण बाधा साबित करती है।

4.6 अभिवृत्ति में बदलाव के रणनीतियाँ

यह सत्य है कि अभिवृत्ति में बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है। इसके लिए समय और एकाग्रता की आवश्यकता होंती है जो अभिवृत्ति का गठन करने वाली मान्यताओं की चुनौती दे सके। अभिवृत्ति में बदलाव व्यक्तिगत, संगठनात्मक व संरचनात्मक की जाती है। शैक्षिक रणनीति का प्रयोग व्यक्तिगत स्तर से अभिवृत्ति में बदलाव के लिए किया जा सकता है। वहीं प्रणालीगत बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए कानूनों व नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वास्तव में सभी तीन स्तरीय व्यक्तिगत, संगठनात्मक और संरचनात्मक ढांचा को सम्मिलित करना होगा।

- व्यक्तिगत स्तर में समुदाय में अभिवृत्तियों के बदलाव हेतु जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, कैप का आयोजन, पोस्टर की प्रदशनी, खेल–कूद सांस्कृति कार्यक्रम याोग्यता मेला इत्यादि का आयोजन किया जाता है।
- संगठनात्मक स्तर की पहल विशेष कर शिक्षा, रोजगार तथा चिकित्सक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निर्देशित है।
- वही संरचनात्मक स्तर की ढांचा में कानून व नीतियां को लागू करना उसका निगरानी करना सम्मिलित है।

4.6.1 व्यक्तिगत स्तर पर अभिवृत्ति में बदलाव की रणनीतियां

2. योग्यता का आयोजन :

    1. बौद्धिक अक्षम बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
    2. बौद्धिक अक्षम बच्चों के भाई बहनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
    3. उनके अभिभावकों व परिवार के अन्य सदस्यों के लिए परामर्श सेवाएं।
    4. अभिभावकों का दूसरे अभिभावकों से संपर्क सहायता हेतु प्रोत्साहित करना।
    5. अभिभावक संघ बनाने हेतु प्रेषित करना।
    6. एक विशेष शिक्षक की भूमिका में ऐसे बच्चे को आप निम्न सहायता कर सकते हैं।

        (क) प्रशिक्षित करना।

        (ख) उन्हें अन्य चिकित्सक, डाक्टर, मनोवैज्ञानिक को रेफर करना।

        (ग) उसके विकलांगता प्रमाण पत्र हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकलांग जन विकास अधिकारी के कार्यालय को रेफर करना।

        (घ) शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु समीप के विद्यालय में बच्चे का नामांकन करने में सहायता।

(ड.) नामांकित विद्यालय के शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य को अपनी उपलब्धता के बारे में बताना जिससे वे आवश्यकतानुसार मदद ले सके।

4.6.2 संगठनात्मक स्तर (Organisation level) पर अभिवृत्ति में बदलाव हेतु रणनीतियाँ

1. कैंप का आयोजन : ग्रामीण क्षेत्रों में जनता तक पहुँचने के लिए बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाएं कैंप का आयोजन कर बौद्धिक अक्षम बच्चों की पहचान कर उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण व अन्य को जागरूक करते हैं।

2. योग्यता मेला का आयोजन : बौद्धिक अक्षम बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं जैसे ग्रिटिंग कार्ड, कैंडिल, राखी, लिफाफा इत्यादि का प्रर्दशनी लगाकर इन बच्चों की योग्यताओं को उजागर करना।

3. खेल–कूल व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन : ग्रामीण क्षेत्रों में एक बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए खेल कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर समुदाय में उनकी योग्यताओं को प्रदेर्शित करना लाभप्रद होता है।

4. रैली निकालना :

   ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जागरूकता के लिए रैली निकालकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना आसान है। इन कार्यक्रमों में जागरूकता के विषय पर बैनर पोस्टर, की प्रर्दशनी की जाती है।

5. मीडिया कार्यशाला का आयोजन :

   विभिन्न मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के लिए कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें बौद्धिक अक्षमता के संदर्भ में सूचनाएं देना जिससे वे जनता को जागरूक करने हेतु निरन्तर सकारात्मक, समाचार, सूचनाएं दे सकें।

6. रेडियो, टेलीविजन तथा प्रिंट मीडिया का उपयोग :

   जनता को शिक्षित करने के लिए कई संगठन रेडियो, टी0वी0 तथा प्रिंट मीडिया का उपयोग करते हैं। इसका व्यापक आवृत क्षेत्र होता है।

4.6.3 संरचनात्मक स्तर (Structural level) पर अभिवृत्ति

संरचनात्मक स्तर पर जनादेश, व्यवहार लंबी अवधि के अभिवृत्ति में बदलाव के दिशा में अधिक कारगर है। ये नीतिगत बयान/वक्तव्य (Policy statement) तथा कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लेख करता हैं।

4.7 सारांश

- अभिवृत्ति का संबंध हमारे विचारों, व्यवहारों या वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण से है जो सकारात्मक व नकारात्मक हो सकती है।

- अभिवृत्ति चार कार्यों को पूरा करता है जैसे ज्ञान कार्य, उपयोग कार्य, आत्म सम्मान तथा सामाजिक पहचान कार्य।

- बौद्धिक अक्षम बच्चों के संदर्भ में अभिवृत्ति के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमें यह दर्शाता है कि आज का समाज अभिवृत्तियों के कई चरणों जैसे अस्वीकार करना, हास्य, दया, नई सामाजिक मनोवृति, वर्तमान में मनोवृति से बना है।

- परिवार व माता–पिता की बौद्धिक अक्षम बच्चों की अभिवृत्ति सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकती हैं नकारात्मक अभिवृतियों में अस्वीकार करना, अतिसुरक्षा, आसक्ति, पक्षपात एवं अभिभावक महत्वाकांक्षा प्रमुख है।

- प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण का हिस्सा व उपज है तथा वह सामाजिक अभिवृत्ति का शिकार भी है। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि युवा जो बेहतर शिक्षित थे, वे इन व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते को वही चालीस वर्ष या उससे अधिक उम्र के कम पढ़े लिखे व्यक्ति का इन व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक थी।

- सहपाठियों का बौद्धिक अक्षम छात्र के साथ अभिवृत्ति कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे बौद्धिक अक्षम छात्र की उम्र, लिंग, बच्चे का लेवल तथा व्यवहारगत विशेषताएं तथा बौद्धिक अक्षम छात्रों के साथ संपर्क।

- अभिवृत्ति में बदलाव के लिए व्यक्तिगत स्तर संगठनात्मक स्तर व संरचनात्मक स्तर पर प्रयास आवश्यक है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए।

....
....
....

प्र02 बौद्धिक अक्षम बचचों के प्रति उसके माता–पिता के नकरात्मक अभिवृत्तियों को वर्गीकृत कीजिए ?

....
....
....

प्र03 संगठनात्मक स्तर पर अभिवृत्ति से बदलाव के कुछ रणनीतियों को लिखिये ?

....
....
....

4.8 शब्दावली

अभिवृत्ति : यह एक निश्चित तरीके से कार्य करने या प्रक्रिया करने की मानसिक तत्परता है।

- नई सामाजिक मनोवृति
- विभिन्न दार्शनिकों के प्रयास के उपरान्त बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के प्रति सामाजिक मनोवृत्ति की नींव पड़ी। इसमें अमेरिकी, फ्रांसीसी क्रांति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

प्रश्नः अभिवृत्ति को परिभाषित करें।

उत्तरः ऑपन हम (1992) के अनुसार अभिवृत्तित तत्परता की वह स्थिति है जब कुछ उद्दीपन देने पर एक निश्चित तरीके से प्रक्रिया करने की प्रवृति प्रदर्शित हो।

प्रश्नः बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रति उसके माता–पिता के नकारात्मक अभिवृत्तियों को वर्गीकृत करें।

उत्तरः बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रति उसके माता पिता की नकारात्मक अभिवृत्तियाँ निम्न हो सकती है।

1. अस्वीकार करना : (परिवार का सदस्य मानने विकलांगता को स्वीकारने के अस्वीकार करना)
2. अतिसुरक्षा (आवश्यकता से अधिक सुरक्षा देख रेख करना।
3. आसक्ति : अत्यधिक दया दिखाना।
4. पक्षपात करना।
5. अभिभावक महत्वाकांक्षा

प्रश्नः संगठनात्मक स्तर पर अभिवृत्ति से बदलाव के कुछ रणनीतियों को लिखे।

उत्तरः संगठनात्मक स्तर पर अभिवृत्ति में बदलाव के लिए सरकारी, गैर सरकारी संस्थान कार्य करती है। इसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प का आयोजन, योग्यता मेला, प्रर्दशनी, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। कई संस्थाएं विश्व विकलांग दिवस को रैली निकाल कर जन जागरण का प्रयास करते हैं इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाएं मीडिया कार्यशाला का आयोजन कर मीडिया कर्मियों को विकलांग पुर्नवास के हित में हो रहे कार्य एवं भविष्य की योजनाओं से अवगत कराते है, जिससे जनहित में सकारात्मक प्रचार प्रसार विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न मीडिया के माध्यम से हो सके।

4.10 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

1. अभिवृत्ति क्या है ? बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के संदर्भ में अभिवृत्ति के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लिखे।

2. बौद्धिक अक्षम बच्चों के परिवार व माता–पिता के उसके प्रति अभिवृत्तियों को लिखे।

3. बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के परिवार तथा मानस के व्यक्तिगत पर अभिवृत्ति परिवर्तन की रणनीतियों की लिखे।

4.11 सन्दर्भ

- आइसेन्क, एम (2009), फन्डामेंटल और साइकोलॉजी, लंदन : साइकोलॉजी प्रेस
- पेशावरिया आर, मेनन डी के, गांगुली, आर राय एस, पिलैइ, आर, गुप्ता ए (1995) अन्डर स्टैण्डिंग इंडियन फैमिलीज, सिकन्दराबाद : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान।

इकाई– 5

मिथक, गलत धारणाएं तथा सामाजिक प्रथा

संरचना

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 मिथ्या क्या है ?

5.3.1 मिथ्या की विशेषताएं

5.3.2 बौद्धिक अक्षमता की मिथ्याएं

5.4 गलत अवधारणाएं क्या है ?

5.4.1 बौद्धिक अक्षमता से संबंधित अवधारणाएं

5.5 सामाजिक प्रथाएं

5.6 बौद्धिक अक्षमता तथा मानसिक बीमारी में अन्तर

5.7 सारांश

5.8 शब्दावली

5.9 बोध प्रश्न के उत्तर

5.10 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

5.11 संदर्भ

5.1 प्रस्तावना

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के वसन हेतु यह आवश्यक है कि परिवार, समुदाय तथा समाज में व्याप्त मिथ्या अवधारणाओं तथा सामाजिक रीति रिवाज में परिवर्तन हो। सकारात्मक अभिवृति के परिवार के सदस्यों के साथ–साथ, समुदाय के अन्य सदस्यों जैसे मंदिर के पुजारी, स्कूल के शिक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत चिकित्सक इत्यादि को भी जागरूक करना आवश्यक है।

अभिवृत्ति में सकारात्मक बदलाव बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों में जागृति लायेगी तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। हमारे देश में अभी भी कई मिथ्या, अवधारणाएं व्याप्त हैं जो बौद्धिक अक्षम के प्रति नकारात्मक अभिवृति को दर्शाती हैं। इस इकाई में आप समाज में व्याप्त मिथ्या, अवधारणाओं तथा सामाजिक रीति–रिवाज से अवगत होंगे।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप सक्षम सकेगें।

- मिथ्या, अवधारणाएं, व सामाजिक प्रथाओं से अवगत हो सकेगें।
- बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के प्रति समाज में व्याप्त मिथ्या, अवधारणाओं व सामाजिक प्रथाओं का वर्णन कर सकेगें।
- बौद्धिक अक्षमता व मानसिक रोग में अन्तर स्पष्ट कर सकेंगे।

5.3 मिथ्या क्या है?

मिथ्या एक पवित्र प्रकृति की लोक कथा होती है जो अक्सर कुछ रस्मों से जुड़ी होती है। ये अक्सर धर्म से जुड़े मूलभूत या प्रमुख आधार है।

इसे अक्सर शासकों, पुजाड़ियों या पुरोहितों द्वारा सर्मथन किया जाता है और धर्म या आध्यात्मिक से निकटता से जोड़ करता है।

चूँकि मिथ्या शब्द का व्यापक रूप से यह अर्थ लगाया जाता है कि कथा सही नहीं है परन्तु कई धर्म के अनुयायी इसे सत्य मानते हैं।

5.3.1 मिथ्या की विशेषताएं

- चरित्र अक्सर गैर मानव होते हैं जैसे देवी, देवता।
- कहानी को सत्य माना जाता है।
- ऐसी घटनाओं को दर्शाता है जो प्राकृतिक नियमों की तोड़ती–मोड़ती है।
- रहस्यों की उपस्थिति दर्ज करती है।

5.3.2 बौद्धिक अक्षमता तथा मिथ्याएं

समाज में व्याप्त कुछ मिथ्याएं निम्न हैं –

- यह भगवान का दिया हुआ आर्शीवाद है।
- यह पूर्व जन्मों का पाप है।
- यह देवी–देवताओं का प्रकोप है।
- बौद्धिक अक्षम व्यक्ति विशिष्ट होते हैं अतः उनके साथ अलग तरीके से पेश आएं।
- बौद्धिक अक्षमता एक व्यक्तिगत त्रासदी है उन्हें दया की जरूरत है।
- बुढ़ी आत्मा प्रवेश कर गया है।

5.4 गलत अवधारणाएं क्या है?

यह आमतौर पर गलत सोच या एक त्रुटिपूर्ण समझ का परिणाम है। यह अवधारणाएं बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के वसन को प्रभावित करती है।

5.4.1 बौद्धिक अक्षमता के संबंध में अवधारणाएं

हमारे समाज में पाई जाने वाली कुछ सामान्य अवधारणाएं निम्न हैं –

- बौद्धिक अक्षमता एक शारीरिक कमजोरी है।
- यह मनोवैज्ञानिक आघात है।
- दवाईयों से इसे रोक किया जा सकता है।
- बचपन में बच्चे का माँ का दूध नहीं पिलाने से यह स्थिति उत्पन्न होती है।
- बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के विवाह कर देने से उनकी समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी।
- उम्र के साथ बुद्धि भी बढ़ेगी तथा वह स्वस्थ हो जायेगा।
- यह भाग्य का फल है।

इन अवधारणाओं के कारण ही बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि अभिभावकों आम जनता को इसके बारे में जागरूक करें।

5.5 सामाजिक प्रथाएं

हमारे देश में सामाजिक प्रथाएं धर्म तथा संस्कृति से प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त गरीब, निरक्षरता तथा बढ़ती आबादी भी सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित करती है।

- संगोत्री विवाह – कई समुदाय में खून के रिश्तों में ही विवाह करने की चलन है जिसके कारण आर0एच0 इनकम्टैपीबीलीटी, ए0वी0ओ0 इनकम्पटेविलॉटी की संभावना रहती है। यह बौद्धिक अक्षमता बच्चे होने का एक कारण भी है।
- कई समाज में बौद्धिक अक्षम बच्चों को घरों में कैद कर रखा जाता है। लोगों का यह मानना है कि उन्हें कैदमुक्त करने से घर, परिवार, पड़ोस में कई समस्याएं पैदा होगी। परन्तु वास्तव में स्कूल भेजने तथा सामाजिक क्रिया–कलापों में भाग लेने से भाषा, सामाजिक तथा अन्य कौशलों का विकास होगा।
- कुछ लोगों का मानना है कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का विवाह कर देने से वह सामान्य हो जाएगा परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्हें जीवन में कई चुनौतियाँ तथा तनाव झेलने पड़ेगे।
- ऐसे बच्चों के ईलाज हेतु वे कई पद्धतियों को अपनाते हैं जैसे झाड़–फूंक, आर्युवेद, होम्योपैथ इत्यादि इन इलाजों से बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का शिक्षण–प्रशिक्षण प्रभावित हो सकता है।

- कई माता–पिता अपने बौद्धिक अक्षम बच्चों को आवासीय विद्यालय में रखना पसंद करते हैं जिससे वे उसकी दैनिक जीवन की देखभाल के जिम्मेदारियों से बच सके। वास्तविकता यह है कि उन्हे हॉस्टल युक्त विद्यालय भेजने से उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

- बौद्धिक अक्षम बच्चों के समस्या व्यवहार प्रबंधन हेतु अत्यधिक दंड विधि का प्रयोग उन्हें आक्रामक तथा यथायुक्त बना देना है, जो बाद के वर्षों में व्यक्तित्व विकार उत्पन्न कर सकता है।

5.6 बौद्धिक अक्षमता तथा मानसिक बीमारी में अन्तर

बौद्धिक अक्षमता तथा मानसिक बीमारी दोनों दो अक्षमताएं है परन्तु कई बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को मानसिक बीमारी हो सकती है। विकलांग जन अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक अक्षमता वह अक्षमता है जो बौद्धिक क्रियाशीलता व अनुकूली व्यवहार दोनों की सीमित करती है। बौद्धिक क्रियाशीलता के अन्तर्गत तर्क करना, सीखना व समस्या का हल निकालना उल्लेखित है। इसके दिन–प्रतिदिन के सामाजिक व व्यवहारिक कौशलों को सम्मिलित किया गया है।

वही मानसिक बीमारी का अर्थ सोच, मनोदशा धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का पर्याप्त विकार जो कि स्थाई रूप से निर्णय लेने, व्यवहार वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता, शराब ओर नशीली दवाओं के दुरूपयोग से जुड़ी स्थितियों से है लेकिन मानसिक मंदता नहीं हो।

हमारे देश में अज्ञानतावश कई लोग बौद्धिक अक्षमता व मानसिक रोग को एक ही मानते हैं अतः यह आवश्यक है कि दोनों स्थितियों को स्पष्ट करते हुए उनमें भिन्नताओं को उजागर करे।

	बौद्धिक अक्षमता		**मानसिक रोग / बीमारी**
1.	यह एक स्थिति है	1.	यह एक बीमारी है
2.	यह गर्भधारण से कर 18 वर्ष की आयु के मध्य कभी भी हो सकती है	2.	यह किसी भी आयु में हो सकती है
3.	व्यक्ति की बुद्धिलब्धि 70 या उससे कम के साथ अनुकूलित व्यवहार में भी कमी प्रदर्शित करना है।	3.	यह मस्तिष्क का रोग है जो व्यवसायिक ह्रास से जुड़े महत्वपूर्ण व्यवहार या मनावैज्ञानिक अशांति पैदा करता है
4.	बहुघटकीय परन्तु मुख्य रूप से जैविक (आनुवंशिक, चयापचय चोट, संक्रमण इत्यादि), मनोसामाजिक कारको	4.	बहुघटकीय जैविका मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक
5.	वैधानिक लक्षण :	5.	नैदानिक लक्षण :

	बुद्धिलब्धि 70 से कम सामंजस्य व्यवहार में कमी		• विकासात्मक देरी नहीं होना • बुद्धिलब्धि सामान्य या सामान्य से कम होना • व्यवहार जन समस्याएं
6.	वर्गीकरण : मनोवैज्ञानिक : माईल्ड 50–70 मोडरेट (35–49), सीवियर (20–34) प्रोफाउन्ड (20 से कम) शैक्षिक : शिक्षण योग्य (50–70) प्रशिक्षण योग्य (35–49) अभिरक्षित (34 से कम)	6.	वर्गीकरण : साइकोसिस एवं न्यूरोसिस
7.	आमतौर पर स्थिर, प्रगतिशील नहीं	7.	आमतौर पर स्थिर परन्तु प्रगतिशील हो सकती है
8.	प्रशिक्षण देकर सुधार संभव	8.	उपचार से पूर्णतः स्वस्थ हो सकते है।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 बौद्विक अक्षमता व मानसिक अक्षमता में कोई दो उत्तर लिखिये।

....

....

....

प्र02 समाज में व्याप्त किन्ही दो सामाजिक प्रथा, रिति – रिवाज के बारे में लिखें जो बौद्विक अक्षमता से संदर्भित हो ?

....

....

....

5.7 सारांश

मिथ्या कथा या कहानियाँ युक्त लोक कथा होती है जो धर्म से जुड़ी हो सकती है। बौद्विक अक्षम व्यक्तियों के प्रति समाज में व्याप्त मिथ्या में, यह पूर्व जन्मों का प्रकोप,

देवताओं का प्रसाद, व्यक्तिगत त्रासदी, बूढ़ी आत्मा व उसकी विशिष्टता को प्रदर्शित करती है।

समाज में कई अवधारणाएं भी व्याप्त हैं जो व्यक्तियों के गलत सोच या बिधार में ज्ञान के अभाव में प्रदर्शित करता है जैसे बौद्धिक अक्षमता एक शारीरिक कमजोरी, आघात, दवाईयों से उपचरित, इत्यादि।

समाज में ऐसी कई सामाजिक प्रथाएं संचलित हैं जो ऐसे व्यक्तियों के वसन को प्रभावित करती है जैसे रक्त संबंध में विवाह करना, अनुशोषण के नाम पर कठोर दंड देना ईलाज के लिए झाड़–फूंक करवाना इत्यादि।

5.8 शब्दावली

- मिथ्या : यह एक लोक कथा होती है जो धर्म से जुड़ी हो सकती है। इसके चरित्र हमेशा गैर मानव होते है जैसे देवी, देवताएं।
- अवधारणाएं : यह गलत सोच या त्रुटिपूर्ण समझ का परिणाम है। यह विषय विशेष के ज्ञान के अभाव में उत्पन्न होता है।

5.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न– बौद्धिक अक्षमता व मानसिक रोग में कोई दो अन्तर को लिखें।

उत्तर–

	बौद्धिक अक्षमता		**मानसिक रोग**
1.	यह एक स्थिति है	1.	यह एक रोग है
2.	यह गर्भधारण से 18 वर्ष की आयु तक कभी भी हो सकती है।	2.	यह किसी आयु में हो सकती है

प्रश्न– समाज में व्याप्त किन्हीं दो सामाजिक प्रथा। रीति–रिवाज के बारे में लिखे जो बौद्धिक अक्षमता से संदर्भित हो।

उत्तर– कुछ लोगों का यह मानना है कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों का विवाह कर देने से वह सामान्य हो जाएगा। परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्हें आजीवन चुनौतियाँ तथा तनाव झेलने पड़ेगे।

2. कई समुदाय में खून के रिश्तों में ही विवाह करने की चलन है जिसके कारण बौद्धिक अक्षम बच्चे का जन्म हो रहा है।

5.10 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

1. मिथ्या से आप क्या समझते है ? यह अवधारणा से कैसे भिन्न है ? समाज में व्याप्त अवधारणा को लिखें।
2. बौद्धिक अक्षमता व मानसिक रोग में अन्तर को स्पष्ट करें।

5.11 संदर्भ

पेशावरिया आर, मेनन डी0के0, स्टफेन्सन एल (2000) एन0आई0एम0एच0 जेम क्यूशचनेयर : सिकन्दराबाद : एन0 आई0 एम00 एच0

रीडिंग्स्स आफ मेंटल रिटारडनेशन (1991)फेमिली एण्ड कम्यूनिटी सिकन्दराबाद : एन आई एम0एच0

शैपिरो जे (1994) पीपुल विथ डिसेबिलिटी फार्जिग न्यू सिविल राईट मूवमेंट : नौ पिटी नई दिल्ली यूनिवर्सल बुक ट्रेडस।

इकाई– 6

मनो–सामाजिक मुद्दे

संरचना

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 बाल शोषण

6.3.1 यौन शोषण

6.3.2 श्रम शोषण

6.3.2 घरेलू गुलामी/दासी

6.4 बाल अपराध

6.5 बाल श्रम

6.6 बाल शोषण

6.7 बच्चों के अधिकार (किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार)

6.8 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार

6.9 स्ववकालत

6.10 सारांश

6.11 शब्दावली

6.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.13 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

6.14 संदर्भ

6.1 प्रस्तावना

बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें न सिर्फ चिकित्सा, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक निहितार्थ होते हैं बल्कि किसी भी समुदाय में सामाजिक व्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के सीमित बुद्धिलब्धि व सामन्जस्य व्यवहारों के कारण समाज में शोषण, बाल श्रम, बाल उत्पीड़न, बाल अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुयी है।

इस सन्दर्भ में आप मनोसामाजिक मुद्दों के अन्तर्गत शोषण, अपराध, बालश्रम व बाल अपराध से परिचित होंगे तथा राष्ट्रीय अधिकारिता आधारित समाज के निर्माण हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अर्तराष्ट्रीय कानूनों अधिकारों एवं वकालत कौशलों से अवगत होंगे।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप समझ सकेगें।

- विविध मनोसामाजिक मुद्दों जैसे बाल शोषण, बाल अपराध, बाल श्रम इत्यादि से अवगत हो सकेगें।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की चर्चा कर सकेगें।
- स्ववकालत क्या है ? इसको समझने व चर्चा करने योग्य हो सकेगें।

6.3 बाल शोषण

बाल शोषण एक नाबालिग बच्चे का श्रम, यौन संतुष्टि या कुछ अन्य व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ के लिए उपयोग करना है। यह एक क्रूरतम तथा बच्चों का हानि पहुँचाने वाला कृत्य है।

बाल शोषण की परिभाषा :

- लाभ, सत्ता, स्थिति, यौन संतुष्टि या किसी अन्य उद्देश्यों के लिए एक नाबालिग बच्चे का उपयोग बाल शोषण है।
- यह दूसरों के लाभ के लिए बच्चे को कार्य या अन्य गतिविधियों में उपयोग और बच्चे के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, विकास और शिक्षा में अवरोध को संदर्भित करता है। (ए0आर0सी0 2001)
- ये बाल शोषण के कई रूप है जैसे यौन शोषण, श्रम शोषण, घरेलू गुलामी, बलपूर्वक इच्छा विरूद्ध विवाह (Forced marriage), जबरन अपराधिकता (Forced criminality) तथा अंगों के हटाने प मजबूर (Organ removed)

6.3.1 यौन शोषण

यौन शोषण एक ऐसा कार्य है जो यौन संतुष्टि, वित्तीय लाभ या अन्य गैर वैध उद्देश्य के किसी अन्य व्यक्ति के कामुकता का शोषण करें।

बाल यौन शोषण में किसी बच्चे या युवा का शोषण किया जाता है तथा उन्हें यौन गतिविधियां करने के ऐवज में उपहार, ड्रग्स, धन, स्नेह जैसी वस्तुएं दी जाती है।

6.3.1.1 बाल यौन शोषण के संकेत

यौन शोषण को कभी–कभी सामान्य किशोरा अवस्था के व्यवहार मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता हैं अतः यह आवश्यक है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए इन संकेतों को समझे तथा दुर्व्यव्यहार का सामना करें।

- अस्वस्थ या अनुचित यौन व्यवहार।
- कुछ व्यक्तियों, स्थानों या स्थितियों से भयभीत रहना।
- एकांत रहना।
- मूड में तेजी से बदलाव।
- दुरूपयोग के शारीरिक संकेत।
- शराब या नशीली दवाओं का दुरूपयोग।
- यौन संक्रमण।
- गर्भावस्था।
- रूपये पैसे या आर्थिक सम्पन्नता के त्वरित लक्षण।

6.3.1.2 बाल यौन शोषण के प्रभाव

- परिवार व दोस्तों से अलग हो सकते हैं।
- पढ़ाई पर प्रभाव।
- कम उम्र में गर्भवती होना।
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होना।
- आपराधिक व्यवहार में भाग लेना।
- आत्महत्या का प्रयास करना।

6.3.1.3 बौद्धिक अक्षम व्यक्ति तथा यौन शोषण

इस बात की बढ़ती मान्यता है कि बच्चे, किशोर जो बौद्धिक अक्षम होते हैं उन्हें यौन शोषण का शिकार आसानी से बनाया जा सकता है। उनकी समाज में अपेक्षाकृत शक्तिहीन स्थिति, भावनात्मक और सामाजिक असुरक्षा, कामुकता और यौन शोषण के बारे में शिक्षा की कमी तथा देखभाल करने वालो पर आजीवन निर्भरता के कारण ये लोग यौन शोषण के चपेट में आसानी से आ जाते हैं।

6.3.2 श्रम शोषण

यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ व्यक्तियों को कम या बिना पारिश्रमिक के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये सजा के खतरे के तहत, हिंसा या धमकी, संचित ऋृण (accumulated debt) के बहाने किया जाता है।

कुछ मामलों में यह शोषण जबरन श्रम (Forced Labour) / बंधुआ श्रम, ऋृण बंधन (debt dondage) पर निर्भर करता हैं

6.3.2.1 बौद्धिक अक्षम व्यक्ति तथा श्रम शोषण

रोजगार के मुद्दे हमेशा दिव्यांगता नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। कई लोगों का मानना है कि बौद्धिक अक्षम व्यक्ति काम नहीं करते या काम करने के लायक नहीं है।

वेल, एम (2018) ने माना यहां तक कि जब बौद्धिक अक्षम व्यक्ति श्रम बाजार में सक्रिय होते है तो उनके रोजगार के अनुभव अन्य श्रमिकों से भिन्न होते है। विशेष कर उन्हें अंशकालिक कार्यों (निम्न वर्गीय कार्यो) में रखे जाते हैं तथा वेतन भी कम दिया जाता है।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देशों का श्रम कानून का सिद्धान्त समान कार्य के लिए समान वेतन का हैं परन्तु बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की समान वेतन अर्जित करने से प्रतिबंधित किया है।

हमारे देश में भी बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को समान कार्य के लिए उन्हें समान वेतन नहीं दिया जाता। इस धारणा के आधार पर कि उनके पास समान रूप से उत्पादक होने की क्षमता की कमी है। यह श्रम शोषण है जो सर्व व्याप्त है।

6.3.3 घरेलू गुलामी / दासी Domestic Servitude)

घरेलू नौकर या मजदूर वह व्यक्ति है जो अपने नियोक्ता के घर में कार्य करता हैं। यह व्यवस्था अत्याचारी तक होता है। जब उसे प्रतिबंधित वातावरण में रखा जाता है तथा उनके क्रिया कलापों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। उन्हें कम वेतन पर लम्बे समय तक काम करने के लिए मजबूर / विवश किया जाता है। उन्हें शारीरिक तथा यौन शोषण भी झेलना पड़ सकता है।

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को सीमित बुद्धिलब्धि होने के कारण इस प्रकार का शोषण होने की संभावना बनी रहती है।

6.4 बाल अपराध

किशोर अपराध एक व्यस्क अपराध का प्रवेश द्वार है, क्योंकि बड़ी संख्या में आपराधिक करियर बचपन में ही अपनी जड़ें जमा लेती है। इसे बालकों/किशोरी की समस्या कहकर अनदेखा नहीं कर सकते है।

सीरिल वर्त के अनुसार :

"किसी बच्चे द्वारा किए जाने वाला विरोधी व्यवहार जब इतना गम्भीर हो जाता है कि राज्य द्वारा उसे दण्डित करना आवश्यक हो जाए"।

6.4.1 बाल अपराध के कारण

(क) मनोवैज्ञानिक कारण : व्यक्ति के व्यक्तित्व में मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। मनोवैज्ञानिक कारण निम्न है –

- मानसिक दुर्बलता : मानसिक दुर्बलता को अपराध करने के लिए जिम्मेदार मानते है।

- सवेगात्मक संघर्ष – बच्चों के कटु अनुभव जैसे माता–पिता के द्वारा किया गया दुर्व्यव्हार, तिरस्कार इच्छाओं का दमन इत्यादि संवेगात्मक संघर्ष की ओर अग्रसर करती हैं

(ख) पारिवारिक कारण :

- जैसे–जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली समाप्त हो रही है। नई प्रवृत्ति विकसित हुई हैं जहाँ माता–पिता दोनों काम कर रहे है और परिणामस्वरूप बच्चों को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। इस तरह के अलगाव से बच्चे बाल अपराधी हो सकते है।

- ऐसे परिवार जहाँ पर मदयपान, अनैतिक, सम्बन्ध, जुआ, झगड़ा इत्यादि होते रहते हैं।

- ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तथा परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा निम्न स्तर का हो, बच्चों के अपराध के दल–दल में गिरने की संभावना अधिक होती है।

(ग) आधुनिक संस्कृति :

- पड़ोस तथा आस पास का माहौल भी बड़े पैमाने पर बच्चों को प्रभावित करती है।

- अद्यौगिकीकरण, नगरीकरण भी किशोरों को प्रभावित किया है।

6.4.2 बौद्धिक अक्षम बालकों द्वारा बाल अपराध

अनुसंधान से पता चलता है कि गैर विकलांग युवाओं की तुलना में, बौद्धिक अक्षम युवा जो अपराध करते हैं, वे अधिक गंभीर अपराध होते है तथा किशोर न्याय प्रणाली का सहारा लेते है। ये अपराध लूट, हमला, चोरी, से धमारी व बलात्कार आदि हो सकते हैं।

6.5 बाल श्रम

बाल श्रम एक बौद्धिक घटना है। यह विकसित तथा विकासशील देशों दोनों में व्याप्त है। परन्तु विकाशील देशों में यह समस्या भयावह है।

परिभाषा :

- बाल श्रम वह चलन जो बच्चे के बचपन से वंचित करें तथा उसके शारीरिक व मानसिक विकास को क्षति पहुँचाएं।

यूनिसेफ के अनुसार :

- शब्द बाल श्रम अक्सर ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों के बचपन, उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करता है, और यह शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। यह निम्न कार्य की संदर्भित करता है।

- मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और बच्चों के लिए हानिकारक।

- उनके स्कूली शिक्षा के साथ हस्तक्षेप करता है।

6.5.1 बाल श्रम के रूप

बाल श्रम की सबसे जुड़ी स्थिति बच्चों की गुलामी एवं तस्करी है। इसके अतिरिक्त बच्चे कालीन बनाने, ताला बनाना, तांबे के कार्य, मणि चमकाने वाला तथा हीरे के आभूषण के कार्यों में अधिकतम बालश्रम प्रयोग में लाये जाते हैं। भारत तथा अन्य एशिया के देशों में बालश्रम भीख मांगने, आतंकवादी गतिविधियों वेश्यालयो में पाए जाते हैं।

6.5.2 बाल श्रम के कारण

बालश्रम के मुख्य कारण निम्न है –

- गरीबी–गरीबी के कारण माता–पिता बच्चों के शिक्षा वहन नही ंकर पाते तथा उन्हें कम उम्र से ही मेहनत कर कमाने के लिए भेज देते हैं।

- शैक्षिक संसाधन की अनुपलब्धता : स्कूली शिक्षा नहीं मिलने के कारण बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं तथा असहाय बने रहते हैं।

- सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन : यह भी बालश्रम का मुख्य कारण है। कई माता–पिता अपने सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते तथा अंततः पिछड़ा बने रहते।

- लत, बिमारी, दिव्यांगता परिवार में नशा के लत या बिमारी, दिव्यांगता के कारण, बच्चों को परिवार का भरण–पोषण हेतु कार्य करने को मजबूर करते हैं।

- बालश्रम का उपयोग कम खर्च के लिए किया जाता है।

- परिवार में लड़का, लड़की में भेदभाव भी बालश्रम को बढ़ावा देती है। गरीब परिवारों में लड़कियों की स्कूल न भेजकर, दूसरों के घरों में मजदूरी करने भेज दिया जाता है।

6.5.3 बाल श्रम का परिणाम

- चोट तथा दुरूपयोग/शोषण के निशान।

- यौन शोषण।

- भावनात्मक उपेक्षा।

- शारीरिक उपेक्षा।

- स्कूली शिक्षा प्रभावित।

6.6 बाल शोषण

बाल शोषण, व्यवहार का एक जटिल समूह है जिसमें बाल उपेक्षा और बच्चों के शारीरिक भावनात्मक और यौन शोषण सम्मिलित हैं।

शारीरिक शोषण : इसके अन्तर्गत बच्चे को शारीरिक चोट पहुँचाना जैसे मारना, हिलाना, जलाना, मुक्का मारना सम्मिलित हैं।

यौन शोषण : यह बच्चे के साथ अनुचित यौन व्यवहार हैं इसमें बच्चे को बलात्कार, अनाचार, संभोग इत्यादि का शौकीन बनाना शामिल है।

भावनात्मक शोषण : इसे मौखिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक दुर्व्यव्यवहार भी कहा जाता है। यह बच्चों में गंभीर व्यवहारगत, संज्ञानात्मक, भावनत्मक व मानसिक आघात पहुँचाता हो। इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के दंड जैसे कोठरी या अंधेरे कमरे में कैद करना, लम्बे समय तक कुसी से बांधना बच्चे को धमकाना तथा आतंकित करना।

बाल उपेक्षा : यह बच्चे की बुनियादी जरूरतों को प्रदान करने में विफलता है ये उपेक्षा शारीरिक, शैक्षणिक या भावनात्मक हो सकती हैं। शारीरिक उपेक्षा में पर्याप्त भोजन, कपड़े उचित चिकित्सा देखभाल, पर्यवेक्षण प्रदान नहीं करना शामिल हो सकता है। शैक्षिक उपेक्षा में स्कूली शिक्षा को प्रदान करने में विफलता शामिल है। मनोवैज्ञानिक उपेक्षा में किसी भी भावनात्मक समर्थन और प्यार की कमी शामिल है।

बाल अपराध एवं बौद्धिक अक्षम बच्चे बौद्धिक अक्षम बच्चे बाल अपराध के आसान लक्ष्य (Soft target) होते हैं क्योंकि –

- उन्हें यह समझ नहीं है कि अपराध क्या होता है।
- कई बच्चों को सम्प्रेषण की समस्याएं होती है जिससे वे इसे व्यक्त नहीं कर पाते।
- माता–पिता को यह डर होता है कि शोषण के बारे में रिपोर्ट करने के उपरान्त उन्हें आवासीय गृह से बच्चे को वापस घर ले जाना होगा या किन्हीं अन्य आवासीय गृहों में प्रवेश दिलाना होगा।

6.7 बच्चों के अधिकार

भारत में एक नया अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाईल जस्टिस अधिनियम) 2015 पारित किया गया था तथा इसके मुख्य विशेषताएं निम्न हैं –

अधिनियम की अध्याय 11, धारा 3 में कुछ सामान्य सिद्धान्त प्रदान करती है जिसका पालन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए। ये सिद्धान्त हैं–

1. मासूमियत के सिद्धान्त : जहाँ किसी भी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक आपराधिक इरादे से निर्दोष माना जाता है।
2. भागीदारी का सिद्धान्त : जहाँ प्रत्येक बच्चे को अपने हितों और उसके विचारों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया करने और निर्णयों को सुनने का अधिकार होगा।
3. सर्वोत्तम हित का सिद्धान्त : जिसमें बच्चे के बारे में प्राथमिक विचार के सभी निर्णय बच्चे के सर्वोत्तम हित होने चाहिए।

4. परिवार की जिम्मेदारी का सिद्धान्त : बच्चे की देखभाल, पोषण और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी माता–पिता की होगी या जैविक या पालक की हो सकती है।

5. सुरक्षा का सिद्धान्त : जहाँ बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाए।

6. सकारात्मक उपाय : बच्चों की कमजोरियों को कम करने और बच्चों की कमजोरियों को कम करने के लिए परिवार और समुदाय के सभी संसाधनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे भलाई को बढ़ावा देना, पहचान के विकास को सुविधाजनक बनाना, सक्षम वातावरण प्रदान करना सम्मिलित है।

7. गैर कलंककारी शब्दार्थ का प्रयोग का सिद्धान्त : जहाँ एक बच्चे से संबंधित प्रक्रियाओं में प्रतिकूल या दोषपूर्ण शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना है।

8. समानता व गैर भेदभाव का सिद्धान्त : जहाँ लिंग, जाति, जन्म स्थान, दिव्यांगता और पहुँच, अवसर, उपचार सहित किसी आधार पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाना है।

9. निजता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धान्त जहाँ पर बच्चे को अपनी निजता व गोपनीयता के संरक्षण का अधिकार होगा।

10. अंतिम उपाय के रूप में संस्थागतकरण का सिद्धान्त : जहाँ एक बच्चे को एक उचित जांच के बाद अंतिम उपाय के एक कदम के रूप में संस्थागत देखभाल में रखा जाएगा।

11. प्रत्यावर्तन व बहाली का सिद्धान्त : जहाँ किशोर न्याय प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को अपने परिवार के साथ शीघ्र पुर्नमिलन और उसी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बहाल होने का अधिकार होगा जो वह दायरे में आने से पहले था।

12. एक ताजा शुरूआत का सिद्धान्त : जहाँ विशेष परिस्थितियों में किशोर न्याय प्रणाली के तहत किसी भी बच्चे को पिछले रिकार्ड मिटा दिए जायेंगे।

13. प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त : जहाँ निष्पक्षता के बुनियादी प्रक्रियागत मानकों का पालन किया जायेगा जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पूर्वाग्रह के खिलाफ शासन व सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा समीक्षा का अधिकार सम्मिलित है।

इस अधिनियम के अनुसार :

- बाल का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

- देखभाल की आवश्यकताओं वाले बच्चे का मतलब है। कोई भी बच्चा जो अनाथ हो, जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, सड़क पर रहने पर मजबूर होना, एक अपमानजनक, लापरवाह व्यक्ति के साथ रहना, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग होना, एक भगोड़ा बच्चा जिसके माता–पिता नहीं मिल सकते, यौन शोषण या गैर कानूनी कार्य के लिए प्रताड़ित किया जा रहा हो, नशीली दवाओं के दुरूपयोग, तस्करी में मजबूर किया जा रहा हो जो युद्ध, आपदा अशांति का शिकार हो या जिसके माता–पिता या अभिभावक शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं।

- किसी भी बच्चे को पुलिस लॉक अप में नहीं रखा जायेगा।

6.8 दिव्यांगों व्यक्तियों के अधिकार

6.8.1 दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषताएं निम्न है

- दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
- दिव्यांगता के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिये गये हैं। जैसे—दृष्टि दिव्यांगता, अल्पदृष्टि, कुष्ट रोगी जो ठीक हो गया हो, श्रवण दिव्यांगता, लोकोमोटर अक्षमता, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बिमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्आर्डर, मस्तिष्क पक्षापात, मांसपेशीय दुर्विकार, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां, लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, स्पीच लैग्वेज अक्षमता, थैलेसीमियां, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहुदिव्यांगता एसिड एटैक की शिकार, पार्किसंस रोग।
- बेचमार्क डिसएबिलिटी वाले व्यक्तियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके पास दिव्यांगता का कम से कम 40 प्रतिशत प्रमाणित है।
- 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।
- उच्च शिक्षा में आरक्षण 5 प्रतिशत, सरकारी नौकरी 4 प्रतिशत, भूमि के आवंटन में आरक्षण एवं गरीबी उन्मूलन योजना (5 प्रतिशत) प्रदान किये गये है।
- सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ—साथ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी।
- सार्वजनिक भवनों (सरकारी और निजी दोनों) में पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास।
- जिला न्यायालय द्वारा संरक्षकता प्रदान करने का प्रावधान तथा संरक्षक लेने का अधिकार।
- अधिनियम में वर्णित विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों को पुस्तकें, यंत्र, उपकरण, शिक्षण सामग्रियों 18 वर्ष तक निःशुल्क प्रदान की जायेगी।
- बेचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रस्त व्यक्तियों की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है।
- वांछित मानव शक्ति का विकास करने के लिए प्रावधान किया गया है।

6.8.2 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- यह अधिनियम बौद्धिक अक्षमता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी व बहु—निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें संरक्षक नियुक्त।

- उपरोक्त दिव्यांग व्यक्तियों को यथासंभव स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जीने के लिए अपने समुदाय के भीतर और नजदीक रहने के लिए समर्थ और सशक्त बनाना।
- उन्हें अपने परिवार में रहने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
- उन निःशक्त व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करना जिनको परिवार का सहारा नहीं है।
- उपरोक्त निशक्त व्यक्तियों के परिवार में संकट के समय आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध कराना।

6.8.3 भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम की विशेषताएं

- विकलांग व्यक्तियों के पुर्नवास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों व कार्यक्रमों को विनियमन करना।
- दिव्यांगता से संबंधित व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना।
- इन मानकों को देशभर में सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में एक समान विनिययमित करना।
- विकलांग पुर्नवास के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं।
- विश्वविद्यालयों को मान्यता देना व सन्तोषजनक कार्य नहीं होने पर मान्यता रद्द करना।
- मान्यता प्राप्त योग्यताधारी को पंजीकृत करना।
- मान्यता प्राप्त पंजीकृत व्यवसायिकों के लिए सतत् पुर्नवास शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

6.9 स्वः वकालत

वकालत बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के मानवाधिकार को संरक्षण प्राप्त करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आती है।

यह वकालत वैयक्तिक तथा व्यवस्था स्तर पर प्रभावी होनी चाहिए। वैयक्तिक स्तर पर प्रभावी होने हेतु यह आवश्यक कि वे अपने अधिकारी को जाने, समझे तथा अपने अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रयास करें। यह स्व वकालत कहलाती है।

6.9.1 स्वः वकालत क्या है?

विलियम व शूल्ट 1982 के अनुसार :

स्ववकालत का अर्थ है विकलांग व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर या समूह में अपने लिए या दूसरों के लिए दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों पर बोले या प्रतिक्रियाएं करें। यह अक्सर

विकलांग व्यक्तियों को मिलकर हित के लिए बातें करने के कौशलों के रूप में जाना जाता है। यह आत्म निर्णय, आत्म सम्मान, अधिकारिता उपभोक्तावाद जैसे शब्दों से जुड़ा है।

6.9.2 बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्ववकालत की आवश्यकताएं

- आत्म निर्णय के कौशलों का विकास होता है।
- उनका जीवन, करियर में सुधार आता है।
- स्वालम्बन हेतु आवश्यक है।
- उन्हें अपनी पंसद चुनने का अवसर देता है।

6.10 सारांश

- मनोसमाजिक मुद्दों में प्रमुख शोषण, क्रूरतम तथा बच्चों को हानि पहुँचाने वाला कृत्य है। यह लाभ, सत्ता स्थिति, यौन संतुष्टि या किसी अन्य उद्देश्यों के लिए नाबालिग बच्चों का उपयोग करता है।
- यौन शोषण, यौन संतुष्टि, वित्तीय लाभ या अन्य गैर वैध उद्देश्यों के किसी अन्य व्यक्ति के कामुकता का शोषण है।
- श्रम शोषण उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ व्यक्तियों को कम या बिना पारिश्रमिक के कार्य करने के लिए मजबूर/विवश किया जाता है।
- उसी भांति घरेलू गुलामी/दासी भी घरों में कड़ी निगरानी व कठोर नियमों के बीच अत्याचार करने की प्रथा है जिसमें व्यक्ति कम वेतन के लम्बे समय तक कैद की अवस्था में कार्य करता है।
- बाल अपराध किसी बच्चे (अधिकतम 18 वर्ष) द्वारा किया जाने वाला विरोधी व्यवहार है।
- बाल श्रम वह चलन जो बच्चे के बचपन से वंचित करें तथा उसके शारीरिक, मानसिक विकास के क्षति पहुचाएं। यूनिसंघ ने बालश्रम को परिभाषित करते हुए कहा ऐसे कार्य जो बच्चों के बचपन, उनकी क्षमता, गरिमा से वंचित करता हो तथा उनकी शारीरिक, मानसिक विकास के लिए हानिकारक है।
- बाल शोषण, व्यवहारों का एक जटिल समूह है जिसमें बाल उपेक्षा, बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण सम्मिलित है।
- विकलांग बच्चों के अधिकार हेतु विकलांग अधिकार 2016, भारतीय पुर्नवास अधिनियम 1992, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 मुख्य है।
- स्व वकालत, विकलांग व्यक्ति का व्यक्तिगत या समूह में अपने या दूसरों के लिए दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों पर बोलना या प्रतिक्रिया देना हैं।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 बाल यौन शोषण के संकेत को लिखिये।

....

....

....

....

प्र02 बाल अपराध के कोई दो मुख्य कारणों को लिखिए ?

....

....

....

....

प्र03 बाल अपराध के लिए बौद्विक अक्षम बच्चे उनका असान लक्षय होते है कैसे बताईएं ?

....

....

....

....

6.11 शब्दावली

- बाल शोषण : यह दूसरों के लाभ के लिए बच्चे का कार्य या अन्य गतिविधियों में उपयोग करना तथा बच्चे के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा में अवरोध को संदर्भित करता है।
- श्रम शोषण : यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ बच्चों को कम या बिना प्रशिक्षण पारिश्रमिक के कार्य करने पर मजबूर किया जाता हो।
- बाल अपराध : बच्चे का असामाजिक व आपराधिक गतिविधि जो कानून का उल्लंघन करें। बच्चे की उम्र 18 वर्ष तक सीमित की गयी है।

  बाल शोषण : व्यवहार का जटिल समूह जिसमें उपेक्षा, बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक तथा यौन शोषण सम्मिलित है।

6.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न– बाल यौन शोषण के संकेत को लिखे।

उत्तर– बाल यौन शोषण के निम्न संकते हो सकते है।

- अनुचित यौन व्यवहार।
- एकांत रहना।
- मूड में तेजी से बदलाव।
- दुरूपयोग के शारीरिक संकेत।
- यौन संक्रमण।
- गर्भावस्था।
- कुछ व्यक्तियों, स्थानों या स्थितियों से।
- भयभीत रहना।

प्रश्न– बाल अपराध के कोई दो मुख्य कारणों को लिखे।

उत्तर– मनोवैज्ञानिक कारण –

1. • मानसिक दुर्बलता

   • संतोषजनक संघर्ष (माता–पिता द्वारा किया गया दुर्व्यव्हार, निरस्कार, इच्छाओं का दमन)

2. पारिवारिक कारण :
   - ऐसे परिवार जहाँ मद्यपान, अनैतिक संबंध जुआ–झगड़ा होते रहते हों।
   - परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तथा परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भी निम्न हो।
   - पड़ोस तथा आस–पास का माहौल भी मनोसामाजिक रूप से दूषित हो।

प्रश्न– बाल अपराध के लिए बौद्धिक अक्षम बच्चे उनका आसान लक्ष्य होते है कैसे।

उत्तर– बौद्धिक अक्षम बच्चों की बुद्धिलब्धि, समानान्तर व्यवहार सीमित होता है। उन्हें बौद्धिक अक्षमता के साथ अन्य समस्याएं जैसे समस्या व्यवहार, वाणी विकार, शारीरिक अपंगताएं भी हो सकती है। बाल अपराध में उनका प्रयोग निम्न कारणों से अधिक हो सकता है।

- उन्हें अपराध क्या होता है, इसकी समझ नहीं होती है।
- कई बच्चों में वाक्दोष, सम्प्रेषण की समस्या होती है।
- ये दैनिक क्रिया कलापों के लिए दूसरों पर आजीवन निर्भर रहते हैं।
- माता–पिता का सामाजिक भय भी बना रहता है।

प्रश्न– बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों हेतु स्व वकालत की आवश्यकताओं को लिखें।

उत्तर– स्व वकालत उन्हें

(क) आत्म निर्णय में सहायता करता है।

(ख) स्वावलम्बन हेतु सहायक है।

(ग) स्वतंत्र जीवन यापन, अपनी पसंद के कार्य करने का अवसर देता है।

6.13 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

1. यौन शोषण क्या है ? बौद्धिक अक्षम बच्चों के यौन शोषण के संकेत तथा प्रभाव को लिखें।
2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विषय पर टिप्पणी लिखें।
3. स्व वकालत क्या है ? बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए आवश्यकताओं को लिखें।

6.14 संदर्भ

मोजेस, बी (2017) स्टडी आन दि साइको–सोशल इसूज एण्ड चैलेन्जेस आफ चिल्ड्रॅन विथ मेटल रिर्टाडेर्शन सोसिओलॉजी एण्ड एन्थ्रोपॉलोजी 5 (3) 254–267.

- सुरेश लाल (बी (2019) चाइल्ड लेबर इन इण्डिया : काउजेज एण्ड कन्सीक्यून्सेस इन्टरनेशनल जर्नल आफ साइन्स एण्ड रिसर्च 8 (5), 20199–2206.
- थामसन, सी, रूडॉल्फ एल (1992) काउनसिलिंग चिल्ड्रन, लंदन, ब्रूक्स/कोल पब्लिशिंग कंपनी।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. SE-95

मनोसामाजिक और पारिवारिक मुद्दे
(बौद्धिक अक्षमता)

खण्ड – 3

परिवार को सम्मिलित करना

इकाई – 7 **81**

पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार को सम्मिलित करना व प्रशिक्षण देना तथा अभिभावक व्यवसायी सम्बन्ध

इकाई – 8 **89**

अभिभावक स्वयं सहायता समूह का गठन एवं अभिभावक संघ

इकाई – 9 **97**

परिवार का सशक्तिकरण

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 के0एन0 सिंह — कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विशेषज्ञ समिति

प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय — प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रो0 सीमा सिंह — आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रो0 सुषमा पाण्डेय — आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, डी0डी0यू0 विश्वविद्यालय, गोरखपुर

प्रो0 रजनी रंजन सिंह — आचार्य, विशेष शिक्षा विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ0 जी0 के0 द्विवेदी — सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

डॉ0 दिनेश सिंह — सहायक–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक

डॉ. संजय कुमार — असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डॉ. भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

सम्पादक

प्रो0 पी0 के0 पाण्डेय — प्रभारी निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

परिमापक

डॉ0 कौशल शर्मा — एसोसियएट प्रोफेसर, डॉ. भाकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

समन्वयक

डॉ. नीता मिश्रा — परामर्शदाता, (विशेष शिक्षा), शिक्षा विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज.

प्रकाशक

सितम्बर, 2019 (मुद्रित)

© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 2019

ISBN-

सर्वाधिक सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में, मिमियोग्राफी (वक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठयसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
नोट : पाठय सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आमड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन – उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

खण्ड परिचय

खण्ड–3 **परिवार को सम्मिलित करना :** बौद्धिक अक्षम बच्चों के लालन–पालन में परिवार की भूमिका अहम होती है। माता–पिता तथा अन्य सदस्य बच्चे के लालन–पालन के अतिरिक्त उसका शिक्षण–प्रशिक्षण, चिकित्सीय देख–भाल, मनोरंजन आदि कार्यों में भी सक्रिय रहते है।

इकाइ–7 में आप पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार को सम्मिलित करने के विभिन्न उपाय से परिचित होगे तथा साथ में अभिभावक व्यवसायी संबंध को बेहतर बनाने के उक्तियों को सीखेगे।

इकाई–8 में बौद्धिक अक्षम बच्चों के अभिभावकों का स्वयं सहायता समूह के गठन तथा अभिभावक संघ के बारे में अध्ययन करेगे।

इकाई–9 में आप इन परिवारों के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न उपायों, रणनीतियों इत्यादि का अध्ययन करेगे।

इकाई–7

पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार को सम्मिलित करना व प्रशिक्षण देना तथा अभिभावक व्यवसायी संबंध

संरचना

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 अभिभावकों को प्रशिक्षण देना

7.3.1 अभिभावकों को प्रशिक्षण देने का लाभ

7.3.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

7.4 पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों को सम्मिलित करने में शिक्षकों, प्रशासक व अभिभावकों की भूमिका

7.5 अभिभावक व्यवसायी संबंध के सिद्धान्त

7.6 सारांश

7.7 शब्दावली

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.9 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

7.10 सन्दर्भ

7.1 प्रस्तावना

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लालन पालन में परिवार की भूमिका अहम होती है। माता–पिता तथा अन्य सदस्यगण लालन पालन के अतिरिक्त बच्चे के आवश्यकतानुसार शिक्षण–प्रशिक्षण, चिकित्सीय देखभाल मनोरंजन आदि कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। इन क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हेतु उन्हें स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों चिकित्सकों तथा स्कूल में नामांकित अन्य बच्चे के अभिभावकों के साथ सहयोगी प्रयास करने होंगे।

इस इकाई में आप पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार का सम्मिलित करने के विभिन्न उपाय से परिचित होगें तथा साथ में अभिभावक व्यवसायी संबंध को बेहतर बनाने के उक्तियों को सीखेंगे।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में परिचित होंगे तथा समझ सकेंगे :–

- अभिभावकों / माता–पिता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने के चरणों से अवगत हो सकेगें।
- पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों को सम्मिलित करने में शिक्षक, प्रशासक तथा स्वयं परिवार की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।
- अभिभावक–व्यवसायी संबंध के सिद्धान्तों की चर्चा कर सकेंगे।।

7.3 अभिभावकों को प्रशिक्षण देना

पुर्नवास प्रक्रिया में माता–पिता की सहभागिता अति आवश्यक है (प्रभु 1968, पेशावारिका 1989) और उन्हें शामिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। समूह अभिभावक प्रशिक्षण मॉडल का उपयोग माता–पिता को विशिष्ट ज्ञान व कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है।

7.3.1 (क) माता–पिता / अभिभावकों को प्रशिक्षित करने के लाभ

- यह देखा गया है कि बौद्धिक अक्षम बच्चों का प्रशिक्षण केवल स्कूलों तक ही सीमित रह जाता है जिससे उसका कौशलों को अर्जन करने में विलंब होती है। अगर परिवार के सदस्य घर में भी उस बच्चे को प्रशिक्षण दे, वह बेहतर सीख सकता है।
- बच्चों के भाषा तथा सामाजिक कौशल विकास के लिए घर, पड़ोस व समुदाय का वातावरण उपयुक्त माना गया है। अगर परिवार के सदस्यों को भाषा, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का ज्ञान हो, तो इन कौशलों में बेहतर अर्जन होगी।
- ऐसे बच्चों के समस्या व्यवहार प्रबंधन में भी परिवार की सहभागिता बेहतर नतीजे प्रदर्शित करती है।
- बच्चों को कक्षा में सीखी गयी कार्य / कौशलों को घर के वातावरण में स्थानान्तरित करने वाली समस्या नहीं होगी।
- सीखे गए कौशलों का सामान्यीकरण आसान होगा।
- बच्चे के साथ ऐकिक प्रशिक्षण (वन–टू–वन ट्रेनिंग) से निर्देशात्मक लक्ष्य प्राप्त करना आसान होता है।

(ख) माता–पिता एवं परिवार के सदस्यों के संदर्भ में :

- सभी परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर अन्य परिवारों के सदस्यों के संग सीखते हैं।
- इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समस्या समाधान के नई तरीके सुनने व बॉटने (शेयर) करने का अवसर मिलता है।

- माता–पिता दूसरे समूह के सदस्यों से आपसी सहयोग का अनुभव करते हैं तथा यह एक माता–पिता के रूप में अपनी क्षमता में आत्मविश्वास विकसित करने में सहायता करता है।

- सूचनाओं के आपसी आदान–प्रदान एवं स्पष्टीकरण के द्वारा अभिभावक के मन में व्याप्त गलत धारणाएं दूर हो जाती है।

- यह उन्हें यह जानने में सहायता करता है कि वे अकेले इस समस्या से ग्रसित नहीं है।

7.3.2 माता–पिता तथा परिवार के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना

माता–पिता तथा परिवार के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने के निम्न चरण है –

(क) प्रतिभागियों का चयन : प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रतिभाागियों का समूह निर्धारण करते समय यह तय करना आवश्यक होगा कि ये प्रशिक्षण किन समूहों के लिए है जैसे माता–पिता, बौद्धिक अक्षम बच्चे के भाई–बहन या उसके दादा–दादियों के लिए। इन सभी समूहों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं भिन्न होगी।

(ख) प्रशिक्षण के लिए स्थान, समय व अवधि का चयन करना :

- समूह का आकार छोटा होना चाहिए (अधिकतम 10–15 व्यक्ति। यदि समूह बड़ा होगा तो सदस्यों के बीच आपसी संवाद कम होगी तथा प्रशासनिक समस्याएं भी आ सकती है।

- चयनित स्थान किसी विद्यालय का कक्षा, सेमिनार हॉल या पुर्नवास केन्द्र में स्थिति कोई बड़ा कमरा हो सकता है। यह प्रशिक्षण दाता के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

- प्रशिक्षण की अवधि : साप्ताहिक दो घंटे का शाम का सत्र (न्यूनतम चार) संतोष जनक माने जाते हैं। दो सत्रों के बीच एक सप्ताह से अधिक का समय देने से प्रतिभागियों की उपस्थिति में गिरावट देखी जाती है।

(ग) समूह प्रशिक्षक का चयन करना :

प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक विभिन्न व्यवसाय के हो सकते हैं। यह प्रशिक्षण के विषय पर निर्भर करेगा। अगर प्रशिक्षण समस्या व्यवहार प्रबंधन विषय पर चुना गया है तो विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक, अनुभवी विशेष शिक्षक हो सकते हैं। वहीं प्रशिक्षण मिर्गी के प्रबंधन विषय पर आयोजित किए जा रहे हो तो वे मनोचित्सिक, बाल रोग विशेषज्ञ, चिकित्साधिकारी हो सकते हैं।

(घ) प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारूप तय करना :

- सत्र के शुरूआती 15 मिनट माता–पिता को विश्राम (relax) करने में मदद करने के लिए निर्धारित होनी चाहिए क्योंकि कई माता–पिता जब पहली बार प्रशिक्षण के लिए आते हैं तो वे बेचैनी अनुभव करते हैं। इस प्रारंभिक 15 मिनट में ही धीरे–धीरे इन्हें अपना परिचय, अपने बच्चे की समस्याओं को संक्षेप में बताने के लिए कहा जाना चाहिए।

- व्याख्यान अधिकतम 20–25 मिनटों का होना चाहिए तथा पहला व्याख्यान विषय विशेष के परिचय पर केन्द्रित होता है।

- समूह चर्चा करना : प्रशिक्षण कार्यक्रम में सबसे अधिक समय समूह चर्चा के लिए दिया जाना चाहिए। यह 1 घंटा से सवा घंटे का हो सकता है। समूह चर्चा के लिए प्रतिभागियों को छोटे–छोटे समूहों में बॉटा जाता है।

- प्रत्येक समूह को गोलाकार स्थिति में बैठने की व्यवस्था करना, समूह में नेता, उपनेता का चयन करना आवश्यक है। ये नेता, उपनेता समूह के प्रतिभागियों के साथ व्याख्यान विषय पर चर्चा करें।

- चर्चा के अंत में समूह के नेता/उपनेता कक्षा में अपने मुद्दों, चिंताओं को प्रशिक्षक तथा अन्य समूहों के समक्ष प्रस्तुत करें। कक्षा समाप्ति के उपरान्त व्याख्यान विषय पर लिखित नोटस् वितरित करना बेहतर होता है।

7.4 पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों को सम्मिलित करने में शिक्षक, प्रशासक एवं अभिभावक की भूमिका

7.4.1 शिक्षक की भूमिका

शिक्षण–प्रशिक्षण में अभिभावकों को सम्मिलित करने में शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होता हैं। वे एक परामर्शदाता, सम्प्रेषक कार्यक्रम निर्धारित करने वाला, तथा मित्र की भूमिका में होता है। वे पुर्नवास प्रक्रिया में उन्हें सम्मिलित करने हेतु वैक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम के सभी चरणों में उनका योगदान सुनिश्चित कर सकते है। जैसे बच्चे का साझा आकलन करना, लक्ष्य तथा करते समय शिक्षक के साथ साझा निर्णय लेना, प्रशिक्षण विधि, मूल्यांकन आदि कार्यों में भी साझा प्रयास करना इत्यादि।

- कई शिक्षक अपने कक्षा में बच्चों के बेहतर प्रबंधन हेतु माता–पिता का सहयोग लेते हैं। यह उन्हें पुर्नवास प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर जैसा है। माता–पिता का सहयोग, शिक्षण सामग्री तैयार करने में, अभिभावक–शिक्षक मीटिंग निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है।

- कई स्कूलों के शिक्षक बौद्धिक अक्षम बच्चों के घरों में नियमित साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर जाता है तथा बच्चों की प्रगति के साथ माता–पिता तथा परिवार के साथ बेहतर संबंध, तालमेल बनाने का प्रयास करता है।

- शिक्षक की अनुरूपता (यथार्थता), बिना शर्त सकारात्मक संबंध की शर्तें, सहानुभूति जैसे कारक भी पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों को सम्मिलित करता है।

7.4.2 प्रशासन की भूमिका

- कई अनुसंधानों से पता चलता है कि स्कूल प्रधान की भूमिका पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार को सम्मिलित करने में अहम होती है। वह स्कूल के शिक्षक, कर्मचारियों को बच्चों के माता–पिता या अन्य के साथ मिल–जुल कर कार्य करने को प्रेरित कर सकते है। इस दृष्टिकोण के द्वारा निःसन्देह ही अभिभावकगणों का स्कूल के

प्रति सकारात्मक भावनाओं का विकास होगा तथा वे भी पुर्नवास प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेगे।

- कई स्कूलों में बच्चों के पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियों को स्कूल के पत्रिकाओं में शामिल किया जाता है। कभी–कभी रेडियो, दूरदर्शन या समाचार पत्रों में भी इन उपलब्धियों को शामिल कर बड़े स्तर पर अभिभावक व समुदाय को जागरूक किया जाता है। यह बच्चों के माता–पिता को पुर्नवास प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करता है।

- स्कूलों में आयोजित अभिभावक–अध्यापक सम्मेलन, अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बौद्धिक अक्षम बच्चों के माता–पिता तथा अन्य सदस्यों को पुर्नवास प्रक्रिया को समझने व अनुसरण करने में सहायता पहुँचाती है।

- स्कूल में वार्षिक उत्सव या अन्य विशिष्ट दिवसों में अभिभावकों व अन्य सदस्यों के लिए एकत्रित होने (Get together) का अवसर देता है। इन उत्सव या समारोहों में उनकी प्रतिभागिता सीखने व अभिप्रेरित में सहयोग करता है।

- कई स्कूलों में अभिभावकों का चयन स्कूल के नीतिगत मामलों के लिए बने निर्णायक समिति में सदस्य के रूप में किया जाता है। उनका चयन भी पुर्नवास प्रक्रिया का प्रभावित करती है।

7.4.3 अभिभावकों की भूमिका

- माता–पिता के पास अपने बच्चों का पालन पोषण का ज्ञान, कौशल व अनुभव है। अतः उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर पुर्नवास प्रक्रिया में सक्रियता के साथ सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

7.5 अभिभावक व्यवसायी संबंध के सिद्धान्त

मिटलर व अन्य (1986) ने अभिभावक शिक्षक के मध्य बेहतर संबंध के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त बताए है।

- अभिभावकों तथा शिक्षकों को ऐसे अवसर प्राप्त हो जिससे दोनों मिलकर बच्चें के संबंध में उनकी समस्याओं तथा निराकरण पर चर्चा कर सके।

- बच्चों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय उनके घरों का वातावरण का अध्ययन करना आवश्यक है। अतः शिक्षक बच्चे का घर जाकर परिवार के सदस्यों से मिले, आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करें। प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध विभिन्न शिक्षण–अधिगम सामग्रियों का मुआयना करें।

- बच्चे का विशेष शिक्षा आकलन या मनोवैज्ञानिक आकलन हेतु साझा आकलन रणनीति बनानी चाहिए। इसके अन्तर्गत माता–पिता भी अपनी आकलन करेगा तथा व्यवसायी भी बच्चे का आकलन करें, अन्तः आपस में चर्चा करें।

- कोई भी सफल सहयोग (Successful Collaboration) तभी संभव है जब आपस में सूचनाओं का आदान–प्रदान बेहतर तरीके से हो। अतः बेहतर सहयोग के लिए चर्चा आवश्यक है।

- बच्चे का वार्षिक लक्ष्य, लघु कालीन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय भी साझा रणनीति को अपनाते हुए कार्य करना।

- उसे घर में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण विधि को विस्तार से बताना जिससे वे इसका उपयोग घरों में कर सके।

- प्रशिक्षण के उपरान्त सीखे गए उपलब्धियों का साझा मूल्यांकन भी आवश्यक है। इससे दोनों पक्ष में उत्साह बना रहता है।

- बेहतर संबंध बना रहे इसके लिए आवश्यक है कि एक निश्चित अन्तराल में प्रशिक्षण के संबंध में व्यवसायी से मिलते–जुलते रहे।

- अभिभावकों तथा व्यवसायियों को ऐसे अवसर अवश्य दिए जाए जहाँ वे आपस में मिलकर कार्य कर सके जैसे वार्षिक उत्सव का आयोजन खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इत्यादि।

- उन्हें संस्थान के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में भी सम्मिलित किया जा सकता है जैसे संस्थान के लिए फंड एकत्रित करना, मनोरंजन हेतु क्रियाकलापों के आयोजन हेतु कार्य करना।

- अभिभावकों की लघुकालीन या दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग हेतु नामित करना व पोषत करना।

- स्कूल के निर्णायक समितियों में अभिभावकों को नामित करना।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 माता–पिता को प्रशिक्षित करने से बौद्विक अक्षम बचचे के को मिलो वाले लाभ को लिखिये।

....
....
....
....
....

प्र02 परिवार के सदस्यों का पुर्नर्वास प्रक्रिया में समिललित करने के विभिन्न रणनीतियाँ को लिखियें।

....
....
....
....
....

7.6 सारांश

- पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार को सम्मिलित करने हेतु परिवार के सदस्यों को, विशेषकर माता–पिता बौद्धिक अक्षम बच्चे के भाई–बहनों का पुर्नवास संबंधी विषयों में प्रशिक्षण आवश्यक है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सिर्फ माता–पिता ही नहीं वरण बौद्धिक अक्षम बच्चे अधिक लाभान्वित होते हैं।

- माता–पिता तथा अन्य परिवार के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन के पूर्व उनकी योजना तैयार करना आवश्यक है। इसके आयोजन के निम्न चरण हो सकते हैं –

  (क) प्रतिभागियों का चयन (ख) प्रशिक्षण के लिए स्थान, समय अवधि का चयन (ग) प्रशिक्षक का चयन (घ) प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारूप तय करना।

- पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों को सम्मिलित करने में शिक्षक के अतिरिक्त स्कूल प्रशासक तथा स्वयं माता–पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम तय करते समय सभी चरणों में उनका योगदान लेकर उन्हें सम्मिलित कर सकता है। उसी भांति बच्चों के घरों का नियमित कर भ्रमण कर उनके शिक्षण–प्रशिक्षण, देख–रेख आदि कार्यों का पर्यवेक्षण के साथ उन्हें प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रेरित कर, पुर्नवास प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है।

- कई अनुसंधान से स्पष्ट होता है कि स्कूल प्रधान की भूमिका भी परिवार के पुर्नवास में अहम होती है। जैसे उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, स्कूल के कार्यक्रमों में आवश्यक प्रतिभाग इत्यादि।

- अभिभावक व्यवसायी के बीच बेहतर संबंध कई सिद्धान्तों पर आधारित होती है जैसे साझा आकलन, योजना तैयार करना, योजना को अमल करना तथा साझा मूल्यांकन करना। इस तरह के प्रयास संबंधों में ऊँचाइयाँ लाती है।

- अभिभावकों एवं शिक्षकों को ऐसे अन्य कई अवसर प्राप्त होना चाहिए जिससे वे मिलकर बच्चे के समस्या का निराकरण कर सके।

- बच्चों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय भी शिक्षक को उनके घर का भ्रमण कर आवश्यक सूचना एकत्रित करनी चाहिए। उनका ये प्रयास संबंधों को बेहतर बनाती है।

- संबंध लम्बे समय तक बना रहे इसके लिए आवश्यक है कि निश्चित अंतराल में अभिभावक प्रशिक्षण के संबंध में व्यवसायी से मिलते रहे।

7.7 शब्दावली

- अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

  पुर्नवास प्रक्रिया में माता–पिता की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु यह कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इससे परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के साथ–साथ बच्चे को भी बेहतर प्रशिक्षण का मार्ग प्रथस्त होता है।

- अभिभावक व्यवसायी संबंध :

इस तरह के सहयोगी प्रयास से दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक कार्यक्रमों में निरन्तर सहायत मिलती रहती है। उनकी देखभाल की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाता है।

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न– माता–पिता को प्रशिक्षित करने से बौद्धिक अक्षम बच्चे को मिलने वाले लाभ को लिखे?

उत्तर– बौद्धिक अक्षम बच्चे को मिलने वाला लाभ निम्न है –

- उसका समस्या व्यवहार प्रबंधन बेहतर होना।
- कौशल व्यवहार प्रशिक्षण मानक अनुरूप व रूचि कर होना।
- बेहतर शिक्षण–अधिगम सामग्री का उपयोग।
- सीखे गए कौशलों का स्थानान्तरण बेहतर होना।

प्रश्न– परिवार के सदस्यों का पुर्नवास प्रक्रिया में सम्मिलित करने के विभिन्न रणनीतियों को लिखे ?

उत्तर– परिवार के सदस्यों को पुर्नवास प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु माता–पिता के प्रशिक्षण के अतिरिक्त, उनके भाई बहनों व दादा–दादियों को भी अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था होना चाहिए। ये रणनीतियाँ परिवार के सभी सदस्यों को पुर्नवास कार्यक्रमों में सम्मिलित करेगा।

7.9 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

1. पुर्नवास प्रक्रिया में परिवार को सम्मिलित करने में शिक्षक, प्रशासक व माता–पिता की भूमिका को लिखे ?
2. अभिभावक व्यवसायी संबंध बेहतर करने के विविध रणनीतियों की चर्चा करें ?

7.10 संदर्भ

1. डी0एस0.ई0 (एम0आर0), फैमिली एण्ड कम्यूनिटी नोट्स, सिकन्दराबाद : राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान।
2. हार्न्वी, जी (1994) काउनसिलिंग इन चाईल्ड डिसैबिलीटी, लंदन : चैपमैन व हॉल।
3. मिटलर पी, मिटलर एच एण्ड कोनेची एच (1986) वर्किग टूगेदर : गाइडेंस, फार पार्टनशिप विटविन प्रोफेशनलस, पैरेन्टस् आफ चिल्ड्रन एण्ड यन्ग विथ डिसैबिलीटिज यूनेस्को।

इकाई – 8

अभिभावक स्वयं सहायता समूह का गठन एवं अभिभावक संघ

संरचना

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 समूह क्या है ?

8.3.1 समूह की विशेषताएं

8.4 स्वयं सहायता समूह क्या है ?

8.4.1 स्वयं सहायता समूह विकसित करने के चरण

8.4.2 अभिभावकों के लिए स्वयं सहायता समूह गठन के लिए मार्गदर्शन

8.5 अभिभावक संघ के उद्देश्य

8.5.1 अभिभावक संघ गठित करने के लिए मार्गदर्शन

8.5.2 अभिभावक संघ के लाभ

8.6 सारांश

8.7 शब्दावली

8.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.9 आदर्श–प्रश्न : अभ्यास कार्य

8.10 संदर्भ

8.1 प्रस्तावना

बौद्धिक अक्षम बच्चों के वसन में माता–पिता की भूमिका अहम होती है। भारत में विशेष शिक्षा की इतिहास पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनके पुर्नवास के लिए विशेष विद्यालय, संस्थान इत्यादि की स्थापना सर्वप्रथम उनके माता–पिता/अभिभावकों के द्वारा ही किया गया था। सन् 1941 में बम्बई में चिल्ड्रेन एड सोसाइटी नामक संस्था, 1944 में बम्बई में ही स्कूल फार चिल्ड्रन इन स्पेशल केयर, अभिभावकों द्वारा ही शुरू किया गया।

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए अभिभावकों का स्वयं सहायता समूह न केवल समुदाय को बल्कि बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के अभिभावकों को शिक्षित, सशक्तीकरण व उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। ये बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों की शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक पुर्नवास के लिए भी सुविधा प्रदान करती है।

इस इकाई में आप स्वयं सहायता समूह गठन के चरण एवं अभिभावक संघ के बारे में अध्ययन करेंगे।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप निम्नलिखित के बारे में परिचित हो सकेंगेः–

- समूह क्या है, इसके प्रकार तथा विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे।
- स्वयं सहायता समूह को समझने व उसके विकास के चरणों को वर्णित कर सकेंगे।
- अभिभावक संघ के उद्देश्य तथा उसे गठित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन को वर्णन कर सकेंगे।

8.3 समूह क्या है?

समूह सामाजिक जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। कुछ लोग परस्पर अंतः क्रिया हेतु अनुबंधित होते है इस वर्ग को समूह कहते है।

फोसिथि (2017) के अनुसार समूह के परिभाषा को "दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए संशोधित किया है जो एक दूसरे से सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए हैं"।

इस परिभाषा में तीन मुख्य तत्व है संख्या, जुड़ना तथा संबंध।

संख्या :

जब लोग समूह के बारे में बात करते है तो वे अक्सर दो या तीन सदस्यों के साथ सामूहिकता का वर्णन करते हैं हालांकि समूह में ऐसे लोगों की बड़ी सामूहिकता हो सकती है।

कड़ी / जुड़ना (Connection) : यह सदस्यों के बीच एक कड़ी की उपस्थिति को उजागर करती है। जैसे परिवार एक समूह है जो न केवल रक्त से बल्कि सामाजिक व भावनात्मक संबंधों से भी जुड़ा होता है।

संबंध :

समूहों में संबंध एक प्रकार के नहीं होते जैसे दोस्तों के बीच का संबंध, कार्य स्थल पर कर्मचारियों से संबंध, जातीयता, नस्ल, लिंग इत्यादि के आधार पर संबंध।

ब्राऊन (1988) के अनुसार :

"एक समूह तब मौजूद होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वयं को इसके सदस्य के रूप में परिभाषित करते हैं। और इसके अस्तित्व को एक दूसरे द्वारा मान्यता दी जाती है।"

8.3.1 समूहों के प्रकार

1. समूह औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकते हैं। औपचारिक समूह संगठन द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करने के इरादे से बनाए जाते है जबकि अनौपचारिक समूह सहज रूप से बनते है जैसे एक व्यक्ति दूसरे के साथ बातचीत करता है।

   (अ) औपचारिक समूह :

यह समूह विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनायी जाती है जैसे–

- सामाजिक संबद्धता की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने हेतु।
- नए कौशल सीखने या
- तालमेल का उपयोग करने के लिए।

(ब) अनौपचारिक समूह :

यह व्यक्तियों द्वारा अपनी सबद्धता की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। यह संगठन द्वारा नियंत्रित तथा विनियमित नहीं होती जैसे – अनुसंधान समूह, कटी पार्टी इत्यादि समूहों का विश्लेषणात्मक वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है।

(क) प्राथमिक और माध्यमिक समूह :

प्राथमिक समूह उस छोटे सामाजिक समूह की संदर्भित करता है जिसके सदस्य एक दूसरे से निकटता से जुड़े होते है और एक स्थायी संबंध साझा करते हैं। वहीं माध्यमिक समूह औपचारिक समूह होते है जिसके सदस्य कुछ कार्यों को करने के लिए एक साथ आते हैं। यहाँ समूह के सदस्य भावनात्मक रूप से एक–दूसरे से जुड़े नहीं होते जैसे राजनीतिक समूह, कॉरपोरेट समूह इत्यादि।

(ख) सदस्यता और संदर्भ समूह :

सदस्यता समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति संबंधित होने के लिए सदस्यता लेते हैं। क्लब सदस्यता समूह का एक उदाहरण है। वहीं संदर्भ समूह लोगों का एक समूह जिसका उपयोग हम स्वयं के लिए तुलना के एक मानक के रूप में करते हैं, जैसे हम उस समूह के हिस्सा हो।

8.3.2 समूह की विशेषताएं

1. समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह हैं।
2. समूह के सभी सदस्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
3. समूह को सभी सदस्य संघटित होते है तथा सभी सहानुभूति की भावना के साथ एकत्रित होते हैं।
4. समूह के सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते है तथा एक दूसरे की अभिरूचियों की सामूहिक रक्षा करते है।
5. समूह में सामान्य रूचि प्राप्ति के लिए सदस्य एक समान व्यवहार करते हैं।
6. प्रत्येक समूह के अपने नियम/मानक होते है, जिसका सभी सदस्यों को पालन करना अनिवार्य होता हैं।

8.4 स्वयं सहायता समूह क्या है?

स्वयं सहायता समूह उन लोगों के अनौपचारिक संघ है जो अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के तरीकों को खोजने के लिए एक साथ एकत्रित होते है।

यह स्वशासित, सहकर्मी नियंत्रित, समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के अनौपचारिक समूह है जो सामूहिक उद्देश्यों को सामूहिक रूप से करने की इच्छा रखता हैं।

परिभाषा :

स्वयं सहायता समूह व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक समूह है जो समूह के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक व जवाबदेह रूप से कार्य करता है।

8.4.1 स्वयं सहायता समूह के विकास के चरण

ब्रूस तकमैन (1965) ने समूह विकास के 5 चरण बताए हैं –

(क) गठन हेतु प्रारंभिक चरण (Forming Stage) :

यह समूह के विकास का पहला चरण है। इस चरण में प्रत्येक सदस्य विनम्र होता है तथा सुखद माहौल में वे समूह निर्माण के लक्ष्यों, नियमों, सदस्यों की व्यक्तिगत भूमिकाओं, सदस्यों के कौशल, पृष्ठ भूमि व रूचियों पर चर्चा करता हैं।

इस चरण में सदस्य भ्रमित, विनम्र, आश्रित तथा असुरक्षित जैसे व्यवहार को प्रर्दशित करता है।

(ख) तूफानी चरण (स्टॉर्मिग स्टेज) :

यह समूह निर्माण का दूसरा चरण हैं यह तूफानी चरण हैं क्योंकि सदस्य कई मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं, वे समूह के नेतृत्व पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश समूह इस अवस्था में असहमति की भावना से गुजरती है। अतः असहमति/संघर्षों को पहचानने तथा उन्हें शीघ्र हल करने का प्रयास आवश्यक है।

(ग) मानदंड के चरण (नॉर्मिंग स्टेज) :

मानदंड के चरण में व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों की शक्तियों को पहचानने लगते है तथा उनकी सराहना करना शुरू करते हैं। प्रत्येक सदस्य समूह की एक जुटता के लिए योगदान करता है।

(घ) प्रर्दशन के चरण (पर फॉर्मिंग स्टेज) :

इस चरण में समूह के प्रत्येक सदस्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है। इस चरण में समूह में सदस्य एक दूसरे पर आश्रिस्त होते हैं तथा वे किसी अन्य के पर्यवेक्षण के बिना ही कार्य कर सकते है।

(ड.) स्थगन के चरण (एडजोर्निंग स्टेज) :

एक बार जब कार्य/परियोजना समाप्त हो जाती है या समूह की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तब समूह को भंग कर दिया जाता है।

8.4.2 अभिभावकों के स्वयं सहायता समूह को गठन करने के लिए मार्गदर्शन

1. तकनीकी सहायता :

   व्यवसायी या बाह्य सहयोगी समूह गठन में सुविधा प्रदान कर सकता है परन्तु समूह सदस्यों के नियंत्रण में होता है। समूह गठन में व्यवसायी की सहायता निरन्तर बनी रहती है।

2. समरूपता : अभिभावक स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भाषा बौद्धिक अक्षम बच्चों का स्तर, आय, श्रेणी और संबंधित समस्याएं एक जैसी होनी चाहिए।

3. समूह का आकार : प्रारम्भ में समूह का आकार 7–8 परिवार तक सीमित होनी चाहिए। इससे समूह में अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं का आदान–प्रदान बेहतर होता है। समूह के बड़ा होने पर प्रशासनिक कार्यों में असमानता हो सकती है।

4. भौतिक सीमाएं : अभिभावक स्वयं सहायता समूह में उन्हीं सदस्यों को शामिल करना चाहिए जो दो या तीन किलोमीटर की परिधि में रहते हो। यह उन्हें सभा में प्रतिभाग करने में सहायक होती हैं।

5. सभा के लिए स्थान, तिथि व समय तय करना :

   सभा की तिथि तय करते समय यह सुनिश्चित करें कि अधिकांश अभिभावक उसमें प्रतिभाग कर सके। स्थान ऐसा चयन करें जहाँ उन्हें पहुँचना आसान हो। सभा के लिए दोनों माता–पिता को आमंत्रित करें।

6. आवश्यकताओं की पहचान :

   अभिभावकों की एक समान जरूरतों की पहुँचान आवश्यक है। यह स्वयं सहायता समूह के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।

8.5 अभिभावक संघ गठन के उद्देश्य

बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के हितार्थ अभिभावकों के संघ के गठन के उद्देश्य।

- समूह के सदस्यों को यह जानने में मदद करता है कि वह अकेला नहीं है।
- यह एक दूसरे का अनुभव एवं ज्ञान के आदान प्रदान का मंच देता है।
- यह समूचे परिवार को पुर्नवास प्रक्रिया में सक्रियता सुनिश्चित करता है।
- यह संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता पहुँचाता है।

8.5.1 अभिभावक संघ गठित करने के लिए मार्ग दर्शन

- अभिभावक संघ गठित करने हेतु व्यवसायियों को निरन्तर सहायता व मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः व्यवसायियों की वचनबद्धता आवश्यक है।

- समूह भावना के विकास हेतु प्रत्येक सदस्यों के क्रियाकलाप पर केन्द्रित होना चाहिए।
- समूह गठन की जिम्मेदारी धीरे–धीरे अभिभावक के पदाधिकारियों को सौंपे जिससे वे जिम्मेदारियों को समझते हुए उसका पालन कर सके।
- सकारात्मक दृष्टिकोण वाले अभिभावकों को ही समूह में सम्मिलित करें।
- संकट के समय अभिभावकों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित करें।
- समूह में प्रेम, सौहार्द बना रहे अतः अनौपचारिक मेल मिलाप हेतु क्रिया कलाप जैसे पिकनिक, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था हो।

8.5.2 अभिभावक संघ के लाभ

- यह संकट के समय परिवार को भावनात्मक सहारा प्रदान करता है।
- कई अभिभावक संघ, विशेष विद्यालय, अभिरक्षित कार्यशाला, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन कर प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है।
- यह दूसरे अभिभावकों को एक साथ लाकर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।
- यह एक राजनीतिक दबाव बनाने हेतु भी कार्य करता है जो बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए हितों की रक्षा करें।

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 समूह की विशेषताओं को लिखिये।

....

....

....

....

प्र02 अभिभावक संध के दो उद्देश्यों को लिखिए ?

....

....

....

....

प्र03 अभिभावक संध के कोई दो लाभ बजाइये।

....

....

....

....

8.6 सारांश

- फोर्सिथ के अनुसार समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए संशोधित किया है जो एक दूसरे से सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए हैं।
- यह औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकती है जो समूह विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनायी जाती है उसे औपचारिक समूह कहते हैं।
- स्वयं सहायता समूह व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक समूह है जो समूह के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक व जवाबदेह रूप से कार्य करता है।
- स्वयं सहायता समूह के विकास को पांच क्रमबद्ध चरणों में बॉटा गया है जैसे गठन हेतु चरण, तूफानी चरण, माणदंड के चरण, प्रर्दशन तथा स्थगन के चरण।

8.7 शब्दावली

- समूह –

  ब्राऊन (1988) के अनुसार "एक समूह तब मौजूद होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वयं को इसके रूप में परिभाषित करते हैं और इसके अस्तित्व को एक दूसरे द्वारा मान्यता दी जाती है।

- तूफानी चरण (स्टॉर्मिंग स्टेज) :

  यह समूह निर्माण का दूसरा चरण हैं। यह तूफानी चरण है क्योंकि सदस्य कई मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं। वे समूह के नेतृत्व पर सवाल/प्रश्न उठा सकते हैं।

8.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न– समूह की विशेषताओं को लिखे ?

उत्तर– समूह की विशेषताएं निम्न है –

- समूह दो या दो अधिक व्यक्तियों का संग्रह हैं ।
- समूह के सदस्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं ।
- सभी सदस्य सहानुभूति की भावना से एकत्रित होते हैं।
- सामान्य रूचि प्राप्त करने हेतु सदस्य एक समान व्यवहार करने है।
- प्रत्येक समूह का अपना नियम होता हैं।

प्रश्न– अभिभावक संघ के दो उद्देश्यों को लिखें ?

उत्तर– अभिभावक संघ के उद्देश्य निम्न हैं –

- संध यह प्रदर्शित करता है कि वह अकेला नहीं हैं।

- यह एक दूसरे को अनुभव, ज्ञान का आदान प्रदान में सहयोग करता हैं।

प्रश्न– अभिभावक संघ के कोई दो लाभ को लिखें।

उत्तर– अभिभावक संघ के लाभ।

- यह एकजुटता की भावना विकसित करता है।
- यह एक दूसरे को एक साथ लाकर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।

8.9 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

1. अभिभावक संघ के उद्देश्यों को लिखें तथा इसके गठन में अपनाए गए मार्गदर्शक बिन्दुओं की चर्चा करें।
2. स्वयं सहायता समूह क्या है ? इसके गठन के विभिन्न चरणों को लिखें।
3. समूह क्या है ? समूह के विभिन्न प्रकार व विशेषताओं को लिखें।

8.10 संदर्भ

विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) पाठ्यक्रम मानसिक मंदता परिवार एवं सामुदायिक अतिक्रिया, सिकन्दर। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान।

इकाई – 9

परिवार का सशक्तिकरण

संरचना

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 सशक्तिकरण क्या है ?

9.4 पारिवारिक सशक्तिकरण की परिभाषा

9.4.1 पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु अक्षम व्यक्तियों के लिए शारीरिक पुर्नवास के उपाय

9.4.2 पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु अक्षम व्यक्तियों के लिए शैक्षिक पुर्नवास के उपाय

9.4.3 पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु आर्थिक पुर्नवास के उपाय

9.4.4 पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु सामाजिक पुर्नवास के उपाय

9.4.5 अन्य प्रावधान

9.5 पारिवारिक सशक्तिकरण की रणनीतियाँ

9.6 पारिवारिक सशक्तिकरण में समुदाय स्तर की समस्याएं

9.7 सारांश

9.8 शब्दावली

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.10 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

9.11 संदर्भ

9.1 प्रस्तावना

घर में यदि अक्षम या बौद्धिक अक्षम बच्चा हो तो उसे परिवार में दूसरा कोई संभालने वाला नहीं होता। परिवार में असंतुलन की स्थिति बनी होती हैं। उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहारा की आवश्यकता होती है। अतः पारिवारिक

सशक्तीकरण में परिवार के साथ समाज का भी उत्तरदायित्व है कि उनके लिए निरन्तर प्रयास हो। इस इकाई में आप उन परिवारों के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न उपायों, रणनीतियाँ इत्यादि का अध्ययन करेगे।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप समझ सकेंगे –

- सशक्तिकरण, परिवारिक सशक्तिकरण से अवगत हों सकेंगे।
- बौद्धिक अक्षम/अक्षम व्यक्तियों के परिवार सशक्तिकरण हेतु शारीरिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक पुर्नवास के उपायों पर चर्चा कर सकेंगे।
- पारिवारिक सशक्तिकरण के लिए अपनायी गयी विभिन्न रणनीतियों का समझने में सहायता कर सकेंगे।

9.3 सशक्तिकरण क्या है?

सशक्तिकरण इस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति को कौशल, संसाधन, अधिकार, अवसर प्रेरणा देने के साथ–साथ उन्हें अपने कार्यों के परिणामी के लिए जिम्मेदार व जवाबदेह ठहराते हुए उनकी क्षमता व संतुष्टि में योगदान देना।

रापापोर्ट (1984) के अनुसार :

सशक्तिकरण वह प्रक्रिया रूप में देखा जाता है "तंत्र जिसके द्वारा व्यक्ति, संगठन और समुदाय अपने जीवन में महारत प्राप्त कर सके।"

ऐमनर (1991) के अनुसार सशक्तिकरण मार्गदर्शक के अंतनिहित पुर्नवास प्रथाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सूची बद्ध करने का विकल्प बनाने, जोखिम लेने और पुर्नवास योजना का नियंत्रण संभालने पर जोर देता है। उन्होंने सशक्तिकरण से जुड़े आंतरिक और बाहय दोनों कारकों की पहचान की। जैसे स्वस्थ आत्म अवधारणा, उच्च आत्म सम्मान सार्थक संबंध, सहायक सामाजिक नेटवर्क और आर्थिक सुरक्षा।

9.4 पारिवारिक सशक्तिकरण क्या है?

परिवार के सशक्तिकरण में किसी भी परिवार की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के साथ–साथ भावनाओं को नियंत्रण में रखने से जुड़ी कार्यवाही है।

ग्रीन एन अन्य सहयोगियों (2007) के अनुसार :

यह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल, संसाधन, अधिकार, अवसर और प्रेरणा प्राप्त करने वाले परिवार की प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से परिवार की सशक्तिकरण, उच्च आत्म प्रभावकारिता से जुड़ी कार्यवाही है।

9.4.1 पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु अक्षम व्यक्तियों के लिए शारीरिक पुर्नवास के उपाय

(क) शीघ्र पहचान व उपचार :

- आरम्भिक पहचान व उपचार से अक्षमता की गम्भीरता को कम करने में मदद मिलती है। यह बच्चे के अधिगम को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ परिवार के संकट के समय आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप कर परिवार में तनाव, कार्य करने की शैली व समायोजन में सहयोग करता है।

- शारीरिक पुर्नवास में दिव्यांग बच्चों के परिवारों की क्षमता को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त, परामर्श, अक्षम व्यक्तियों को मनोचिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा सर्जिकल हस्तक्षेप आदि की भी सुविधा प्राप्त होती है। इन सुविधाओं से उनकी अक्षमता के प्रभावों को कम करने की कोशिश की जाती है।

- भारत सरकार अक्षम बच्चों को उनके आवश्यकतानुरूप आधुनिक यंत्र व उपकरण की खरीद में सहायता देती है जिससे उनके पारिवारिक निर्भरता को कम करने के साथ–साथ शारीरिक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक निर्भरता को कम करते हुए दिव्यांगता के प्रभाव को कम किया जाता है।

9.4.2 पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु अक्षम व्यक्तियों के लिए शैक्षिक पुर्नवास के उपाय

सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम होता है।

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा विकल्पों का एक सातत्य, सीखने वाले यंत्र, सहायक सेवाएं अक्षम बच्चों को उपलब्ध करायी जा रही है। समावेशी वातावरण में निःशुल्क शिक्षा के साथ निःशुल्क स्कूल ड्रेस, पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य भत्ते उनके शैक्षिक पुर्नवास को प्रभावी बनाती है।

स्कूल के बाद की उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को भारत सरकार छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है।

9.4.3 पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु आर्थिक पुर्नवास के उपाय

- दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत सरकारी महकमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी हेतु 4 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

- उनके रोजगार की सुविधा व समर्थन के लिए रियायती दर पर ॠण देने का भी प्रावधान है।

- कार्य स्थल से लेकर परिवहन तथा सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बाधा मुक्त वातावरण सृजित करने की उपाय भी किया जा रहा है।

9.4.4 पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु सामाजिक पुर्नवास के उपाय

- सरकार अक्षम व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि व बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रही है।

- उनके लिए स्वास्थ्य व जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने लिए उपाय कर रही है जिससे उसका पारिवारिक सशक्तिकरण हो सके।

- अक्षम व्यक्तियों के लिए संरक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी पारिवारिक सशक्तिकरण में सुदृढ़ करता है।
- समुदाय के सार्वजनिक भवनों, परिवहन, वातावरण को बाधा मुक्त करना।
- दिव्यांग व्यक्तियों हेतु उनकी सामाजिक स्वीकृत हेतु जन जागरण कार्यक्रमों का संचालन।

9.4.5 अन्य प्रावधान

(क) बौद्धिक अक्षम, स्वलीन, सेरेब्रल पाल्सी तथा बहुदिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 ने इन दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु निम्न प्रयास कर रही है।

- जिन दिव्यांग व्यक्तियों को अपना परिवार नहीं है, उनकी समस्याओं का निपटारा करना।
- जिन दिव्यांग व्यक्तियों को संरक्षण की आवश्यकता हो उसके लिए संरक्षक नियुक्त करना।
- दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार में विपदा के समय सेवाएं प्रदान करना।
- उन्हें अपने समुदाय में या समुदाय के नजदीक रहने हेतु सशक्तिकरण करना।
- सभी दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारिता प्रदान करना।

राष्ट्रीय न्याय की योजनाएं :

राष्ट्रीय न्यास प्रारम्भिक हस्तक्षेप व स्कूल की तत्परता हेतु "दिशा" योजना, उनके दिवा देख रेख के लिए "विकास" योजना, संकट में फँसे परिवार के दिव्यांग व अनाथ बच्चों के लिए आवासीय "सामर्थ" योजना, व्यस्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए "घरौंधा" योजना, स्वास्थ्य बीमा हेतु "निरामय" स्वास्थ्य बीमा योजनाएं इत्यादि संचालित कर रही है।

(ख) भारतीय पुर्नवास परिषद एक्ट 1992 ने दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार सशक्तिकरण हेतु मानव संसाधन विकसित करने हेतु प्रशिक्षण नीतियाँ तथा कार्यक्रमों को तैयार करती है व लागू करती है। ये विभिन्न दिव्यांग पुर्नवास के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसाईयों का रजिस्ट्रेशन करती है।

(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय भी दिव्यांग व्यक्तियों या उनके परिवार के सशक्तिकरण हेतु कई कार्यक्रमों को संचालित कर रही है जैसे उन्मुलन राष्ट्रीय बधिरता रोग कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन प्रभावित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम इत्यादि। ये सारे कार्यक्रम दिव्यांगता के रोकथाम, शीघ्र पहचान व उपचार के लिए संचालित है।

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय अक्षम बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए निःशुल्क समावेशित शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक समावेशित शिक्षा की व्यवस्था स्कूलों में किया है। यह व्यवस्था समग्र

शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित है जिसमें प्रत्येक अक्षम छात्रों को पुस्तकें व कॉपियों को खरीदने, ड्रेस, स्कूल आवागमन भत्ता, पाठक भत्ता व सहायक भत्ता दिये जाते हैं। स्कूलों में उच्च कोटि की शिक्षा देने हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, संसाधन कक्ष का निर्माण, शिक्षण–अधिगम सामग्रियों की उपलब्धता एवं बाधा मुक्त वातावरण की निर्माण जैसे कार्य प्रगति पर है।

9.5 पारिवारिक सशक्तिकरण की रणनीतियाँ

(क) पारिवारिक हस्तक्षेप :

जब परिवार में बौद्धिक अक्षम या अक्षम बच्चे का जन्म होता है, ऐसे परिवार में लम्बे समय तक वास्तविक समस्या बनी रहती है। परिवार को कई भावनात्मक, सामाजिक तथा वित्तीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अतः पारिवारिक हस्तक्षेप देकर परिवार के सदस्यों को समाधान करने के कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है जिससे वे इन समस्याओं/स्थितियों का सामना कर सके।

(ख) परामर्श सेवाएं :

बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में परामर्श के द्वारा अभिभावकों को सहायता प्रदान किया जाता है। उनका भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए, उनके अभिवृत्तियों को बदलने व परिवार में क्रियाकलापों में सुधार हेतु परामर्श आवश्यक है। यह प्रायः देखा गया है कि अभिभावक अज्ञानतावश क्रोध, हीनभावना की स्थिति, व मानसिक समस्याएं के शिकार हो जाते है। परामर्शदाता समूह में या व्यैक्ति परामर्श द्वारा उनके समस्याओं का निदान का प्रयास करना है। यह सेवाएं अक्षम बच्चे के शैक्षणिक, व्यवसायिक विवाह पूर्व संबंधी, जेनेटिक (वंशानुगत), अंतर व्यक्ति संबंध से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में प्रदान किया जाता है।

(ग) बच्चों के शैक्षिक क्रिया कलापों में शिक्षकों व अभिभावकों की सहभागिता भी पारिवारिक सशक्तिकरण के लिए अहम होती है।

(घ) बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के अभिभावकों के लिए संघ निर्माण में सहयोग कर उनके परिवारों को सशक्त बनाया जा सकता है। यह पूरे परिवार को शामिल होने का अवसर प्रदान करता है जिससे उनके बीच जागरूकता, समझ, परिवार के प्रति जवाबदेही स्पष्ट होती है। वे एक सामूहिक आवाज बनकर उचित दबाव बनाने में सक्षम होते है जिससे अक्षम बच्चों की वर्तमान व भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सरकार व उनका सम्मिलित प्रयास हो सके।

(ड.) बौद्धिक अक्षम बच्चों के अभिभावकों, माता–पिता को विशेष शिक्षा व पुर्नवास के पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण देकर भी पारिवारिक सशक्तिकरण का कार्य किया जाता है। कई संस्थान/विश्वविद्यालय इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उनके लिए लचीली रणनीति अपनाती है।

9.6 पारिवारिक सशक्तिकरण में समुदाय स्तर की समस्याएं

पारिवारिक सशक्तिकरण में निम्न समस्याएं प्रमुखता से आती है :

- अज्ञानता और जागरूकता की कमी।
- सही सूचनाओं और मार्गदर्शन की कमी।
- गरीबी और जनसंख्या को अधिकता।
- पुर्नवास अवसरों की कमी।
- रोजगार सुविधाओं की कमी।
- सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा की कमी।
- गलत धारणाएं

बोध प्रश्न –

नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखिये–

प्र01 परिवारिक सशक्तिकरण हेतु शारीरिक पुर्नवास के उपाय लिखिएं।

....

....

प्र02 पारिवारिक सशक्तिकरण में समुदाय स्तर की समस्या बताइएं ?

....

....

9.7 सारांश

- सशक्तिकरण उस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति की कौशल, संसाधन, अधिकार अवसर, प्रेरणा देने के साथ–साथ उन्हें अपने कार्यों के परिणामों के लिए जिम्मेदार व जवाबदेह ठहराते हुए उनकी क्षमता व संतुष्टि में योगदान करना।
- परिवारिक सशक्तिकरण में दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित की जाती है।
- पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु अक्षम व्यक्तियों का शारीरिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक व रोजगार, सामाजिक पुर्नवास के उपायों के साथ ऐसे परिवारों के लिए विशेषीकृत योजनाओं भी अपनायी जाती है।

- पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु कई रणनीतियाँ अपनायी जाती है जैसे पारिवारिक हस्तक्षेप कार्यक्रम परामर्श सेवाएं, शिक्षक–अभिभावक सहभागिता, अभिभावक संघ का निर्माण, इत्यादि।

9.8 शब्दावली

पारिवारिक सशक्तिकरण –

ग्रीन एवं अन्य सहयोगियों (2007) के अनुसार :

यह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशलों, संसाधनों अधिकार, अवसर और प्रेरणा प्राप्त करने वाले परिवार की सशक्तिकरण उच्च प्रभावकारिता से जुड़ी कार्यवाही है।

सशक्तिकरण :

तंत्र जिसके द्वारा व्यक्ति, संगठन, समुदाय अपने जीवन में महारत प्राप्त कर सके।

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न– पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु शारीरिक पुर्नवास के उपाय को लिखे ?

उत्तर– शारीरिक पुर्नवास योजना के अन्तर्गत शीघ्र पहचान व उपचार कार्यक्रम संचालित है जिससे अक्षमता की पहचान कम उम्र में ही की जाती है एवं उसके रोकने या उसके गम्भीरता को कम करने की प्रयास की जाती है। इस योजना में ही परिवार का आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप से पारिवारिक संकट में तनाव, समायोजन में सहायता भी दी जाती है।

- अक्षम बच्चों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विशेष शिक्षा, सर्जरी, स्पीच, भौतिक, व्यवसायिक चिकित्सा इत्यादि प्रदान की जाती है। उन्हें आवश्यकतानुसार आधुनिक यंत्र, उपकरण की क्रय में सहयोग दी जाती है।

प्रश्न– पारिवारिक सशक्तिकरण में समुदाय स्तर की समस्याओं को लिखें ?

उत्तर– पारिवारिक सशक्तिकरण में बढ़ती आबादी, अज्ञानता, जागरूकता की कमी, सही सूचनाओं व मार्गदर्शन की कमी, गरीबी, पुर्नवास अवसरों की कमी मुख्य रूप में प्रभावित करती है।

प्रश्न– पारिवारिक सशक्तिकरण के लिए प्रयुक्त कुछ रणनीतियों को बताएं।

उत्तर– पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु समूह या व्यक्ति परामर्श सेवाएं, पारिवारिक हस्तक्षेप, कार्यक्रम, अक्षम बच्चों के शैक्षिक क्रियाकलापों में शिक्षक व अभिभावकों की सहभागिता, अभिभावक समूह का निर्माण, अभिभावकों की विशेष शिक्षा व पुर्नवास पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण देना कुछ महत्वपूर्ण रणनीति हैं

9.10 आदर्श प्रश्न : अभ्यास कार्य

1. पारिवारिक सशक्तिकरण क्या है ? पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु शैक्षिक पुर्नवास हेतु उपाय को लिखे।

2. पारिवारिक सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं की चर्चा करें।

3. पारिवारिक सशक्तिकरण में समुदाय स्तर की समस्याओं को लिखे।

9.11 संदर्भ

- डी0एस0ई0 (एम0आर0) फैमिली एण्ड कम्यूनिटी नोटस्, सिकन्दराबाद : राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान।
- हार्म्बी, जी (1994) काउनसिलिंग इन चाइल्ड डिसेबिलीटीज लंदन : चैपमैन व हॉल।
- मिटलर पी, मिटलर एच एण्ड कोनेची, एच (1986) वर्किंग टूनोदर : गाइडेंस फॉर पार्टनरशिप विटामिन प्रोफेशनलस् पैरेन्टस आद्य चिल्ड्रन खण्ड यंग पीपुल विथ डिसैबिलीटीज यूनेस्कों।